

PARLIAMENT OF INDIA  
LOK SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI



**PRESS COMMUNIQUE**

**DEPARTMENTALLY RELATED STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT INVITE SUGGESTIONS/COMMENTS ON “THE RIGHTS OF PERSONS  
WITH DISABILITIES BILL, 2014”**

Hon'ble Speaker, Lok Sabha has referred “The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2014” as introduced in Rajya Sabha to the Standing Committee on Social Justice and Empowerment for examination and Report. Considering the wider implications of the proposed legislation on the lives of the disabled persons and for an in-depth study of the proposals in the Bill, **the Standing Committee on Social Justice and Empowerment under the Chairmanship of Shri Ramesh Bais, MP** have decided to invite suggestions/comments/views from the public in general and from individuals/NGOs/Experts/Stakeholders and Institutions in particular.

2. All those who are interested in submitting written memoranda/suggestions to the Committee may send two copies thereof either in English or in Hindi to **DIRECTOR, LOK SABHA SECRETARIAT, ROOM NO. 606, PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI-110001, TEL. NOS. 23035531, FAX NUMBER: 23018010, e-mail: csje-lss@sansad.nic.in** within 15 days from the date of publication of this advertisement. The Bill is available at [loksabha.nic.in \(http://164.100.24.219/BillsTexts/RSBillTexts/asintroduced/I2014RS.pdf\)](http://164.100.24.219/BillsTexts/RSBillTexts/asintroduced/I2014RS.pdf)

3. The memoranda/suggestions submitted to the Committee would form part of the records of the Committee and would be treated as **‘confidential’** and enjoy privileges of the Committee.

4. Those who wish to appear before the Committee, besides submitting memoranda, are requested to specifically indicate so. However, the Committee's decision in this regard shall be final.

New Delhi:

Dated: 26<sup>th</sup> September, 2014

AS INTRODUCED IN THE RAJYA SABHA

**Bill No. I of 2014**

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES BILL, 2014

---

ARRANGEMENT OF CLAUSES

---

CHAPTER I

PRELIMINARY

CLAUSES

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

RIGHTS AND ENTITLEMENTS

3. Equality and non-discrimination.
4. Community life.
5. Protection from cruelty and inhuman treatment.
6. Protection from abuse, violence and exploitation.
7. Protection and safety.
8. Home and family.
9. Reproductive rights.
10. Accessibility in voting.
11. Access to justice.
12. Legal capacity.
13. Provision for guardianship.
14. Designation of authorities to support.

CHAPTER III

EDUCATION

15. Duty of educational institutions.
16. Specific measures to promote and facilitate inclusive education.
17. Adult education.

CHAPTER IV

SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

18. Vocational training and self employment
19. Non-discrimination in employment.
20. Equal opportunity policy.
21. Maintenance of records.
22. Appointment of Grievance Redressal Officer.

CLAUSES

CHAPTER V

SOCIAL SECURITY, HEALTH, REHABILITATION AND RECREATION

23. Social security.
24. Health care.
25. Insurance schemes.
26. Rehabilitation.
27. Research and development.
28. Culture and recreation.
29. Sporting activities.

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES

30. Free education for children with benchmark disabilities.
31. Reservation in higher educational institutions.
32. Identification of posts for reservation.
33. Reservation.
34. Incentives to employers in private sector.
35. Special Employment Exchange.
36. Special schemes and development programmes.

CHAPTER VII

SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES WITH HIGH SUPPORT NEEDS

37. Special provisions for persons with disabilities with high support.

CHAPTER VIII

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF APPROPRIATE GOVERNMENTS

38. Awareness campaigns.
39. Accessibility.
40. Access to transport.
41. Access to information and communication technology.
42. Consumer goods.
43. Mandatory observance of accessibility norms.
44. Time limit for making existing infrastructure and premises accessible.  
and action for that purpose.
45. Time limit for accessibility by service providers.
46. Human resource development.
47. Social audit.

CHAPTER IX

REGISTRATION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND GRANTS TO SUCH INSTITUTIONS

48. Competent authority.
49. Registration.
50. Application and grant of certificate of registration.
51. Revocation of registration.
52. Appeal.
53. Act not to apply to institutions established or maintained by Central or State Government.
54. Assistance to registered institutions.

CLAUSES

CHAPTER X

CERTIFICATION OF SPECIFIED DISABILITIES

55. Guidelines for assessment of specified disabilities.
56. Designation of certifying authorities.
57. Procedure for certification.
58. Appeal against decision of certifying authority.

CHAPTER XI

CENTRAL AND STATE ADVISORY BOARDS ON DISABILITY AND DISTRICT LEVEL COMMITTEE

59. Constitution of Central Advisory Board on disability.
60. Terms and conditions of service of Members.
61. Disqualification.
62. Vacation of seats by Members.
63. Meetings of the Central Advisory Board on disability.
64. Functions of Central Advisory Board on disability.
65. State Advisory Board on disability.
66. Terms and conditions of service of Members.
67. Disqualification.
68. Vacation of seats.
69. Meetings of State Advisory Board on disability.
70. Functions of State Advisory Board on disability.
71. District-level Committee on disability.
72. Vacancies not to invalidate proceedings.

CHAPTER XII

NATIONAL COMMISSION FOR PERSONS WITH DISABILITY

73. Constitution of National Commission for persons with disabilities.
74. Selection and appointment of Chairperson and Members.
75. Term of office of Chairperson and Members.
76. Removal of Chairperson and Members.
77. Member to act as Chairperson and to discharge functions in certain circumstances.
78. Terms and conditions of service of Chairperson and Members.
79. Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of National Commission.
80. Procedure for National Commission.
81. Officers and other staff of National Commission.
82. Transfer of service of existing employees.
83. Action by appropriate authorities on recommendation of National Commission.
84. National Commission to have certain powers of civil court.
85. Annual and special reports of National Commission.

CLAUSES

CHAPTER XIII

STATE COMMISSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES

86. Constitution of State Commission for persons with disabilities.
87. Selection and appointment of Chairperson and Members.
88. Term of office of Chairperson and Members.
89. Removal of Chairperson and Members.
90. Member to act as Chairperson and to discharge functions in certain circumstances.
91. Terms and conditions of service of Chairperson and Members.
92. Vacancies, etc., not to invalidate the proceedings of State Commission.
93. Procedure of State Commission.
94. Officers and other staff of State Commission.
95. Transfer of service of existing employees to State Commission.
96. Annual and special reports of State Commission.
97. Transitory provisions.

CHAPTER XIV

SPECIAL COURT

98. Special Court.
99. Special Public Prosecutor.

CHAPTER XV

NATIONAL FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

100. National Fund for persons with disabilities.
101. Accounts and audit.

CHAPTER XVI

OFFENCES AND PENALTIES

102. Punishment for contravention of provisions of Act or rules or regulations made thereunder.
103. Offences by companies.
104. Punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with benchmark disabilities.
105. Punishment for offences of atrocities.
106. Punishment for failure to furnish information.
107. Previous sanction of appropriate Government.
108. Alternative punishments.

CHAPTER XVII

MISCELLANEOUS

109. Application of other laws not barred.
110. Protection of action taken in good faith.
111. Power to remove difficulties.
112. Power to amend Schedule.
113. Power of Central Government to make rules.
114. Power of State Government to make rules.
115. Power of National Commission to make regulations.
116. Power of State Commission to make regulations.
117. Repeal and savings.

THE SCHEDULE.

**Bill No. I of 2014**

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES BILL, 2014

A

**BILL**

*to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto.*

WHEREAS the United Nations General Assembly adopted its Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the 13th day of December, 2006;

AND WHEREAS the aforesaid Convention lays down the following principles for empowerment of persons with disabilities,—

(a) respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons;

(b) non-discrimination;

(c) full and effective participation and inclusion in society;

(d) respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity;

(e) equality of opportunity;

(f) accessibility;

(g) equality between men and women;

(h) respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities;

AND WHEREAS India is a signatory to the said Convention;

AND WHEREAS India ratified the said Convention on the 1st day of October, 2007;

AND WHEREAS it is considered necessary to implement the Convention aforesaid.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

## CHAPTER I

### PRELIMINARY

Short title,  
extent and  
commencement.

1. (1) This Act may be called the Rights of Persons with Disabilities Act, 2014.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. 5

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “appellate authority” means an authority notified under sub-section (1) of section 52 or designated under sub-section (1) of section 58, as the case may be; 10

(b) “appropriate Government” means,—

(i) in relation to the Central Government or any establishment wholly or substantially financed by that Government, or a Cantonment Board constituted under the Cantonments Act, 2006, the Central Government; 41 of 2006.

(ii) in relation to a State Government or any establishment, wholly or substantially financed by that Government, or any local authority, other than a Cantonment Board, the State Government. 15

(c) “barrier” means any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social or structural factors which hampers the full and effective participation of persons with disabilities in society; 20

(d) “care-giver” means any person including parents and other family Members who with or without payment provides care, support or assistance to a person with disability;

(e) “certifying authority” means an authority designated under sub-section (1) of section 56; 25

(f) “communication” includes means and formats of communication, languages, display of text, Braille, tactile communication, signs, large print, accessible multimedia, written, audio, plain-language, human-reader, augmentative and alternative modes and accessible information and communication technology;

(g) “competent authority” means an authority appointed under section 48; 30

(h) “establishment” means a corporation established by or under a Central Act or State Act or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a local authority or a Government company as defined in section 2 of the Companies Act, 2013 and includes Department of a Government; 35

(i) “Fund” means the National Fund constituted under section 100;

(j) “high support” means an intensive support, physical, psychological and otherwise, which may be required by a person with benchmark disability for daily activities, accessing facilities and participating in all areas of life including education, employment, family and community life and treatment and therapy;

(k) “inclusive education” means a system of education wherein students with and without disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities;

(l) “institution” means an institution for the reception, care, protection, education, training, rehabilitation and any other activities for persons with disabilities;

(m) “local authority” means a Municipality or a Panchayat, as defined in clause (e) and clause (f) of article 243P of the Constitution; a Cantonment Board constituted under of the Cantonments Act, 2006; and any other authority established under an Act of Parliament or a State Legislature to administer the civic affairs;

(n) “National Commission” means the National Commission for persons with disabilities constituted under section 73.

(o) “notification” means a notification published in the Official Gazette and the expression “notify” or “notified” shall be construed accordingly;

(p) “person with benchmark disability” means a person with not less than forty per cent. of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority;

(q) “person with disability” means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which hinder his full and effective participation in society equally with others;

(r) “person with disability having high support needs” means a person with benchmark disability certified under clause (a) of sub-section (2) of section 57 who needs high support;

(s) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(t) “reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments, without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise of rights equally with others;

(u) “registered organisation” means an association of persons with disabilities or a disabled person organisation, association of parents of persons with disabilities, association of persons with disabilities and family members, or a voluntary or non-governmental or charitable organisation or trust, society, or non-profit company working for the welfare of the persons with disabilities, duly registered under an Act of Parliament or a State Legislature;

(v) “rehabilitation” refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to attain and maintain optimal, physical, sensory, intellectual, psychiatric or social function levels;

(w) “Special Employment Exchange” means any office or place established and maintained by the Government for the collection and furnishing of information, either by keeping of registers or otherwise, regarding—

(i) persons who seek to engage employees from amongst the persons suffering from disabilities;



(ii) persons with benchmark disability who seek employment;

(iii) vacancies to which persons with benchmark disabilities seeking employment may be appointed;

(x) “specified disability” means the disabilities as specified in the Schedule;

(y) “State Commission” means a State Commission for persons with disabilities constituted under section 86 of this Act; 5

(z) “universal design” means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialised design and shall apply to assistive devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities. 10

## CHAPTER II

### RIGHTS AND ENTITLEMENTS

Equality and non-discrimination.	<p><b>3.</b> (1) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.</p> <p>(2) The appropriate Government shall take special measures to protect the rights of women and children with disability and also take steps to utilise the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment. 15</p> <p>(3) No person with disability shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is appropriate to achieve a legitimate aim.</p> <p>(4) No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability. 20</p>
Community life.	<p><b>4.</b> (1) The persons with disabilities shall have the right to live in the community.</p> <p>(2) The appropriate Government shall endeavour that the persons with disabilities are,—</p> <p>(a) not obliged to live in any particular living arrangement; and 25</p> <p>(b) given access to a range of in-house, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living with due regard to age and gender.</p>
Protection from cruelty and inhuman treatment.	<p><b>5.</b> (1) The appropriate Government shall take measures to protect persons with disabilities from being subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treatment. 30</p> <p>(2) No person with disability shall be a subject of any research without,—</p> <p>(i) his or her free and informed consent obtained through accessible modes, means and formats of communication; and</p> <p>(ii) prior permission of an Ethics Committee constituted in the prescribed manner for the purpose by the appropriate Government in which not less than half of the Members shall themselves be either persons with disabilities or Members of the registered organisation as defined under clause (u) of section 2. 35</p>
Protection from abuse, violence and exploitation.	<p><b>6.</b> (1) The appropriate Government shall take measures to protect persons with disabilities from all forms of abuse, violence and exploitation, and to prevent the same, shall— 40</p> <p>(a) take cognizance of incidents of abuse, violence and exploitation and provide legal remedies available against such incidents;</p> <p>(b) take steps for avoiding such incidents and prescribe the procedure for its reporting;</p> <p>(c) take steps to rescue, protect and rehabilitate victims of such incidents; and 45</p>

(d) create awareness and make available information among the public.

(2) Any person or registered organisation who or which has reason to believe that an act of abuse, violence or exploitation has been, or is being, or is likely to be committed against any person with disability, may give information about it to the Executive Magistrate within the local limits of whose jurisdiction such incidents occur.

(3) The Executive Magistrate on receipt of such information, shall take immediate steps to stop or prevent its occurrence, as the case may be, or pass such order as he deems fit for the protection of such person with disability including an order—

(a) to rescue the victim of such act, authorising the police or any organisation working for persons with disabilities to provide for the safe custody or rehabilitation of such person, or both, as the case may be;

(b) for providing protective custody to the person with disability, if such person so desires;

(c) to provide maintenance to such person with disability.

(4) Any police officer who receives a complaint or otherwise comes to know of abuse, violence or exploitation towards any person with disability shall inform the aggrieved person of—

(a) his or her right to apply for protection under sub-section (2) and the particulars of the Executive Magistrate having jurisdiction to provide assistance;

(b) the particulars of the nearest organisation or institution working for the rehabilitation of persons with disabilities;

(c) the right to free legal aid; and

(d) the right to file a complaint under the provisions of this Act or any other law dealing with such offence:

Provided that nothing in this section shall be construed in any manner as to relieve the police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence.

(5) If the Executive Magistrate finds that the alleged act or behaviour constitutes an offence under the Indian Penal Code, or under any other law for the time being in force, he may forward the complaint to that effect to the Judicial or Metropolitan Magistrate, as the case may be, having jurisdiction in the matter.

**7. (1)** The persons with disabilities shall have equal protection and safety in situations of risk, armed conflict, humanitarian emergencies and natural disasters.

Protection and safety.

(2) The National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authority shall take appropriate measures to ensure inclusion of persons with disabilities in its disaster management activities as defined under clause (e) of section 2 of the Disaster Management Act, 2005 for the safety and protection of persons with disabilities.

(3) The District Disaster Management Authority constituted under section 25 of the Disaster Management Act, 2005 shall maintain record of details of persons with disabilities in the district and take suitable measures to inform such persons of any situations of risk so as to enhance disaster preparedness.

(4) The authorities engaged in reconstruction activities subsequent to any situation of risk, armed conflict or natural disasters shall undertake such activities, in consultation with the concerned State Commission, in accordance with the accessibility requirements of persons with disabilities.

Home and family.	<p><b>8.</b> (1) No child with disability shall be separated from his or her parents on the ground of disability except on an order of competent court, if required, in the best interest of the child.</p> <p>(2) Where the parents are unable to take care of a child with disability, the competent court shall place such child with his or her near relations, and failing that within the community in a family setting or in exceptional cases in shelter home run by the appropriate Government or non-governmental organisation, as may be required.</p>	5
Reproductive rights.	<p><b>9.</b> (1) The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities have access to appropriate information regarding reproductive and family planning.</p> <p>(2) No person with disability shall be subject to any medical procedure which leads to infertility without his or her free and informed consent.</p>	10
Accessibility in voting.	<p><b>10.</b> The Election Commission of India and the State Election Commissions shall ensure that all polling stations are accessible to persons with disabilities and all materials related to the electoral process are easily understandable by and accessible to them.</p>	
Access to justice.	<p><b>11.</b> (1) The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities are able to exercise the right to access any court, tribunal, authority, commission or any other body having judicial or quasi-judicial or investigative powers without discrimination on the basis of disability.</p> <p>(2) The appropriate Government shall take steps to put in place suitable support measures for persons with disabilities specially those living outside family and those disabled requiring high support for exercising legal rights.</p> <p>(3) The National Legal Services Authority and the State Legal Services Authorities constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 shall make provisions including reasonable accommodation to ensure that persons with disabilities have access to any scheme, programme, facility or service offered by them equally with others.</p> <p>(4) The appropriate Government shall take steps to—</p> <p>(a) ensure that all their public documents are in accessible formats;</p> <p>(b) ensure that the filing departments, registry or any other office of records are supplied with necessary equipment to enable filing, storing and referring to the documents and evidence in accessible formats; and</p> <p>(c) make available all necessary facilities and equipment to facilitate recording of testimonies, arguments or opinion given by persons with disabilities in their preferred language and means of communication.</p>	15 20 39 of 1987. 25 30
Legal capacity.	<p><b>12.</b> (1) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities have right, equally with others, to own or inherit property, movable or immovable, control their financial affairs and have access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit.</p> <p>(2) When a conflict of interest arises between a person providing support and a person with disability in a particular financial, property or other economic transaction, then such supporting person shall abstain from providing support to the person with disability in that transaction:</p> <p>Provided that there shall not be a presumption of conflict of interest just on the basis that the supporting person is related to the person with disability by blood, affinity or adoption.</p> <p>(3) A person with disability may alter, modify or dismantle any support arrangement and seek the support of another:</p>	35 40 45

Provided that such alteration, modification or dismantling shall be prospective in nature and shall not nullify any third party transaction entered into by the person with disability with the aforesaid support arrangement.

(4) Any person providing support to the person with disability shall not exercise undue influence and shall respect his or her autonomy, dignity and privacy.

**13.** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on and from the date of commencement of this Act, where a District Court records a finding that a mentally ill person is incapable of taking care of himself or herself and of taking any legally binding decisions on his or her own, it shall make an order for appointment of limited guardian to take care of such mentally ill person and take all legal binding decisions on his or her behalf in consultation with such person:

Provision for guardianship.

Provided that the District Court may grant plenary guardianship to the mentally ill person under extraordinary situations where limited guardianship could not be awarded.

*Explanation.*—For the purposes of this section,—

(i) “plenary guardianship” means a guardianship whereby subsequent to a finding of incapacity, a guardian substitutes for the person with disability as the person before the law and takes all legally binding decisions for him and the decisions of the person with disability have no binding force in law during the subsistence of the guardianship and the guardian is under no legal obligation to consult with the person with disability or determine his or her will or preference whilst taking decisions for him; and

(ii) “limited guardianship” means a system of joint decision which operates on mutual understanding and trust between the guardian and the person with disability.

(2) On and from the date of commencement of this Act, every guardian appointed under any provision of any law for mentally ill person shall be deemed to function as limited guardian:

Provided that where a guardian appointed prior to the commencement of this Act, is unable to function as limited guardian, the concerned District Court may grant plenary guardianship afresh taking into account all relevant records of the concerned mentally ill person within six months from the date of commencement of this Act.

*Explanation.*—For the purposes of this section “District Court” means, in any area for which there is a city civil court, that court, and in any other area the principal civil court of original jurisdiction, and includes any other civil court which the State Government may, by notification, specify as the court competent to deal with all or any of the matters specified in this Act.

**14.** (1) The appropriate Government shall designate one or more authorities to mobilise the community and create social awareness to support persons with disabilities in exercise of their legal capacity.

Designation of authorities to support.

(2) The authority designated under sub-section (1) shall take measures for setting up suitable support arrangements to exercise legal capacity by persons with disabilities living in institutions and those with high support needs and any other measures as may be required.

### CHAPTER III

#### EDUCATION

**15.** The appropriate Government and the local authorities shall endeavour that all educational institutions funded by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall—

Duty of educational institutions.

(i) admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others;

(ii) make building, campus and various facilities accessible;

(iii) provide reasonable accommodation according to the individual's requirements;

(iv) provide necessary support individualised or otherwise in environments that maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion; 5

(v) ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of communication;

(vi) detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them;

(vii) monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability; 10

(viii) provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs.

Specific measures to promote and facilitate inclusive education.

**16.** The appropriate Government and the local authorities shall take the following measures for the purpose of section 15, namely:— 15

(a) to conduct survey of school going children for identifying children with disabilities, ascertaining their special needs and the extent to which these are being met;

(b) to establish adequate number of teacher training institutions;

(c) to train and employ teachers, including teachers with disability who are qualified in sign language and Braille and also teachers who are trained in teaching children with intellectual disability; 20

(d) to train professionals and staff to support inclusive education;

(e) to establish adequate number of resource centres to support educational institutions; 25

(f) to promote the use of appropriate augmentative and alternative modes including means and formats of communication, Braille and sign language to supplement the use of one's own speech to fulfill the daily communication needs of persons with speech, communication or language disabilities and enables them to participate and contribute to their community and society; 30

(g) to provide books, other learning materials and appropriate assistive devices to students with benchmark disabilities free of cost up to the age of eighteen years and either free or at affordable cost, thereafter;

(h) to provide scholarships in appropriate cases to students with benchmark disability; 35

(i) to make suitable modifications in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disabilities such as extra time for completion of examination paper, facility of scribe or amanuensis, exemption from second and third language courses;

(j) to promote research to improve learning; and 40

(k) any other measures, as may be required.

Adult education.

**17.** The appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote participation of persons with disabilities in adult education and continuing education programmes equally with others.

## CHAPTER IV

## SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

18. The appropriate Government shall formulate schemes and programmes including provision of loans at concessional rates to facilitate and support employment of persons with disabilities especially for their vocational training and self-employment. Vocational training and self-employment.
19. (1) No establishment shall discriminate against any person with disability in any matter relating to employment: Non-discrimination in employment.
- Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, exempt any establishment from the provisions of this section.
- (2) Every establishment shall provide appropriate environment to employees with disabilities.
- (3) No promotion shall be denied to a person merely on the ground of disability.
- (4) No establishment shall dispense with or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his or her service: 15
- Provided that, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits:
- Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier. 20
20. (1) Every establishment shall notify equal opportunity policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of this Chapter in the manner as may be prescribed by the Central Government. Equal opportunity policy.
- (2) Every establishment shall register a copy of the said policy with the National Commission or the State Commission, as the case may be. 25
21. (1) Every establishment shall maintain records of the persons with disabilities in relation to the matter of employment, facilities provided and other necessary information in compliance with the provisions of this Chapter in such form and manner as may be prescribed by the Central Government. Maintenance of records.
- (2) Every employment exchange shall maintain records of persons with disabilities seeking employment. 30
- (3) The records maintained under sub-section (1) shall be open to inspection at all reasonable hours by such persons as may be authorised in their behalf by the appropriate Government.
22. (1) Every establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 and shall inform the National Commission or the State Commission, as the case may be, about the appointment of such officer. Appointment of Grievance Redressal Officer.
- (2) Any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 19, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate it and shall take up the matter with the establishment for corrective action. 40
- (3) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints in the manner as may be prescribed by the Central Government, and every complaint shall be enquired within two weeks of its registration.
- (4) If the aggrieved person is not satisfied with the action taken on his or her complaint, he or she may approach the District-Level Committee on disability. 45



## CHAPTER V

## SOCIAL SECURITY, HEALTH, REHABILITATION AND RECREATION

Social security.

**23. (1)** The appropriate Government shall within the limit of its economic capacity and development formulate necessary schemes and programmes to safeguard and promote the right of persons with disabilities for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community: 5

Provided that the quantum of assistance to the persons with disabilities under such schemes and programmes shall be at least twenty-five per cent. higher than the similar schemes applicable to others.

(2) The appropriate Government while devising these schemes and programmes shall give due consideration to the diversity of disability, gender, age, and socio-economic status. 10

(3) The schemes under sub-section (1) shall provide for,—

(a) community centres with good living conditions in terms of safety, sanitation, health care and counseling;

(b) facilities for persons including children with disabilities who have no family or have been abandoned, or are without shelter or livelihood; 15

(c) support during natural or man-made disasters and in areas of conflict;

(d) support to women with disability for livelihood and for upbringing of their children;

(e) access to safe drinking water and appropriate and accessible sanitation facilities especially in urban slums and rural areas; 20

(f) provisions of aids and appliances, medicine and diagnostic services and corrective surgery free of cost to persons with disabilities with such income ceiling as may be notified;

(g) disability pension to persons with disabilities subject to such income ceiling as may be notified; 25

(h) unemployment allowance to persons with disabilities registered with Special Employment Exchange for more than two years and who could not be placed in any gainful occupation;

(i) care-giver allowance to persons with disabilities with high support needs; 30

(j) comprehensive insurance scheme for persons with disability, not covered under the Employees State Insurance Schemes, or any other statutory or Government-sponsored insurance schemes;

(k) any other matter which the appropriate Government may think fit.

Health care.

**24. (1)** The appropriate Government and the local authorities shall take necessary measures for the persons with disabilities to provide,— 35

(a) free health care in the vicinity specially in rural area subject to such family income as may be notified;

(b) barrier-free access in all parts of the hospitals and other healthcare institutions and centres run or aided by them; 40

(c) priority in attendance and treatment.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall take measures and make schemes or programmes to promote health care and prevent the occurrence of disabilities and for the said purpose shall—

(a) undertake or cause to be undertaken surveys, investigations and research concerning the cause of occurrence of disabilities;

(b) promote various methods for preventing disabilities;

5 (c) screen all the children at least once in a year for the purpose of identifying “at-risk” cases;

(d) provide facilities for training to the staff at the primary health centres;

(e) sponsor or cause to be sponsored awareness campaigns and disseminate or cause to be disseminated information for general hygiene, health and sanitation;

(f) take measures for pre-natal, perinatal and post-natal care of mother and child;

10 (g) educate the public through the pre-schools, schools, primary health centres, village level workers and anganwadi workers;

(h) create awareness amongst the masses through television, radio and other mass media on the causes of disabilities and the preventive measures to be adopted;

(i) health care during the time of natural disasters and other situations of risk;

15 (j) essential medical facilities for life saving emergency treatment and procedures; and

(k) sexual and reproductive health care especially for women with disability.

**25.** The appropriate Government shall, by notification, make insurance schemes for their employees with disabilities.

Insurance schemes.

20 **26.** (1) The appropriate Government and the local authorities shall within their economic capacity and development, undertake or cause to be undertaken services and programmes of rehabilitation, particularly in the areas of health, education and employment for all persons with disabilities.

Rehabilitation.

25 (2) For the purposes of sub-section (1), the appropriate Government and the local authorities may grant financial assistance to non-Government Organisations.

(3) The appropriate Government and the local authorities, while formulating rehabilitation policies shall consult the non-Governmental Organisations working for the cause of persons with disabilities.

30 **27.** The appropriate Government shall initiate or cause to be initiated research and development through individuals and institutions on issues which shall enhance habilitation and rehabilitation and on such other issues which are necessary for the empowerment of persons with disabilities.

Research and development.

35 **28.** The appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote and protect the rights of all persons with disabilities to have a cultural life and to participate in recreational activities equally with others which include,—

Culture and recreation.

(a) facilities, support and sponsorships to artists and writers with disability to pursue their interests and talents;

(b) establishment of a disability history museum which chronicles and interprets the historical experiences of persons with disabilities;

40 (c) making art accessible to persons with disabilities;

(d) promoting recreation centres, and other associational activities;

(e) facilitating participation in scouting, dancing, art classes, outdoor camps and adventure activities;

45 (f) redesigning courses in cultural and arts subjects to enable participation and access for persons with disabilities; and



(g) developing technology, assistive devices and equipments to facilitate access and inclusion for persons with disabilities in recreational activities.

Sporting activities.

**29.** (1) The appropriate Government shall take measures to ensure effective participation in sporting activities of the persons with disabilities.

(2) The sports authorities shall accord due recognition to the right of persons with disabilities to participate in sports and shall make due provisions for the inclusion of persons with disabilities in their schemes and programmes for the promotion and development of sporting talents. 5

(3) Without prejudice to the provisions contained in sub-sections (1) and (2), the appropriate Government and the sports authorities shall take measures to,— 10

(a) restructure courses and programmes to ensure access, inclusion and participation of persons with disabilities in all sporting activities;

(b) redesign and support infrastructure facilities of all sporting activities for persons with disabilities;

(c) develop technology to enhance potential, talent, capacity and ability in sporting activities of all persons with disabilities; 15

(d) provide multi-sensory essentials and features in all sporting activities to ensure effective participation of all persons with disabilities;

(e) allocate funds for development of state of art sport facilities for training of persons with disabilities; 20

(f) promote and organise disability specific sporting events for persons with disabilities.

## CHAPTER VI

### SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES

Free education for children with benchmark disabilities.

**30.** (1) Notwithstanding anything contained in the Rights of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, every child with benchmark disability between the age of six to eighteen years shall have the right to free education in a neighbourhood school, or in a special school, if necessary. 25 35 of 2009.

(2) The appropriate Government and local authorities shall ensure that every child with benchmark disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of eighteen years. 30

Reservation in higher educational institutions.

**31.** (1) All Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than five per cent seats for persons with benchmark disabilities;

(2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission in institutions of higher education. 35

Identification of posts for reservation.

**32.** The appropriate Government shall—

(i) identify posts in the establishments to be reserved for the persons with benchmark disability;

(ii) review and update the list of identified posts, taking into consideration the developments in technology, at periodical intervals not exceeding five years. 40

Reservation.

**33.** (1) Every appropriate Government shall reserve in every establishment under them, not less than five per cent. of the vacancies meant to be filled for persons or class of persons with benchmark disability, of which one per cent. each shall be reserved for the persons with following disabilities,— 45

(a) blindness and low vision;

(b) hearing impairment and speech impairment;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured and muscular dystrophy;

5 (d) autism, intellectual disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities:

10 Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any department or establishment, by notification and subject to such conditions, if any, as may be specified in such notification, exempt any establishment from the provisions of this section.

*Explanation.*—For the purposes of this section, the computation of reservation of vacancies for the persons with benchmark disabilities shall be computed on five per cent. of the total cadre strength.

15 (2) Where in any recruitment year any vacancy cannot be filled up due to non-availability of a suitable person with benchmark disability or for any other sufficient reasons, such vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in the succeeding recruitment year also suitable person with benchmark disability is not available, it may first be filled by interchange among the five categories and only when there is no  
20 person with disability available for the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appointment of a person, other than a person with disability:

Provided that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the five categories with the prior approval of the appropriate Government.

25 (3) The appropriate Government shall, by notification, provide relaxation of upper age limit up to five years for employment of persons with benchmark disability.

30 **34.** The appropriate Government and the local authorities shall, within the limit of their economic capacity and development, provide incentives to employer in private sector to ensure that at least five per cent. of their work force is composed of persons with benchmark disability.

Incentives to employers in private sector.

**35.** The appropriate Government may, by notification, require that from such date, the employer in every establishment shall furnish such information or return as may be prescribed by the Central Government in relation to vacancies appointed for persons with benchmark disability that have occurred or are about to occur in that establishment to such Special  
35 Employment Exchange as may be notified by the Central Government and the establishment shall thereupon comply with such requisition.

Special employment exchange.

**36.** The appropriate Government and the local authorities shall, by notification, make schemes in favour of persons with benchmark disabilities, to provide,—

Special schemes and development programmes

40 (a) five per cent. reservation in allotment of agricultural land and housing in all relevant schemes and development programmes, with appropriate priority to women with benchmark disabilities;

(b) five per cent. reservation in all poverty alleviation and various developmental schemes with priority to women with benchmark disabilities;

45 (c) five per cent. reservation in allotment of land on concessional rate, where such land is to be used for the purpose of promoting housing, shelter, setting up of occupation, business, enterprise, recreation centers and production centers.

## CHAPTER VII

## SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES WITH HIGH SUPPORT NEEDS

Special provisions for persons with disabilities with high support.

**37. (1)** Any person with benchmark disability, who considers himself to be in need of high support, or any person or organisation on his or her behalf, may apply to an authority, to be notified by the appropriate Government, requesting to provide high support. 5

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the authority shall refer it to an Assessment Board consisting of such Members as may be prescribed by the Central Government.

(3) The Assessment Board shall assess the case referred to it under sub-section (1) in such manner as may be prescribed by the Central Government, and shall send a report to the authority certifying the need of high support and its nature. 10

(4) On receipt of a report under sub-section (3), the authority shall take steps to provide support in accordance with the report and subject to relevant schemes and orders of the appropriate Government in this behalf.

## CHAPTER VIII

15

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF APPROPRIATE GOVERNMENTS

Awareness campaigns.

**38. (1)** The appropriate Government, in consultation with the National Commission or the State Commission, as the case may be, shall conduct, encourage, support or promote awareness campaigns and sensitisation programmes to ensure that the rights of the persons with disabilities provided under this Act are protected. 20

(2) The programmes and campaigns specified under sub section (1) shall also,—

(a) promote values of inclusion, tolerance, empathy and respect for diversity;

(b) advance recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities and of their contributions to the workforce, labour market and professional fee; 25

(c) foster respect for the decisions made by persons with disabilities on all matters related to family life, relationships, bearing and raising children;

(d) provide orientation and sensitisation at the school, college, University and professional training level on the human condition of disability and the rights of persons with disabilities; 30

(e) provide orientation and sensitisation on disabling conditions and rights of persons with disabilities to employers, administrators and co-workers.

(f) ensure that the rights of persons with disabilities are included in the curriculum in Universities and colleges.

Accessibility.

**39.** The National Commission shall, formulate regulations for the persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation, information and communications, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services provided to the public in urban and rural areas. 35

Access to transport.

**40. (1)** The appropriate Government shall take suitable measures to provide,—

(a) facilities for persons with disabilities at bus stops, railway stations and airports conforming to the accessibility standards relating to parking spaces, toilets, ticketing counters and ticketing machines; 40

(b) access to all modes of transport that conform the design standards, including retrofitting old modes of transport, wherever technically feasible and safe for persons with disabilities, economically viable and without entailing major structural changes in design; 45

(c) accessible roads to address mobility necessary for persons with disabilities.

(2) The appropriate Government shall develop schemes programmes to promote the personal mobility of persons with disabilities at affordable cost to provide for,—

(a) incentives and concessions;

5 (b) retrofitting of vehicles; and

(c) personal mobility assistance;

**41.** The appropriate Government shall take measures to ensure that,—

(i) all contents available in audio, print and electronic media are in accessible format;

10 (ii) persons with disabilities have access to electronic media by providing audio description, sign language interpretation and close captioning;

(iii) electronic goods and equipment which are meant for every day use are available in universal design.

Access to information and communication technology.

15 **42.** The appropriate Government shall take measures to promote development, production and distribution of universally designed consumer products and accessories for general use for persons with disabilities.

Consumer goods.

**43. (1)** No establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not adhere to the regulations formulated by the National Commission under section 39.

Mandatory observance of accessibility norms.

20 (2) No establishment shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building unless it has adhered to the regulations formulated by the National Commission.

25 **44. (1)** All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the regulations formulated by the National Commission within a period not exceeding five years from the date of notification of such regulations:

Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose.

Provided that the Central Government may grant extension of time to the States on a case to case basis for adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

30 (2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritization, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centres, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops.

35 **45.** The service providers shall provide services in accordance with the regulations on accessibility formulated by the National Commission under section 39 within a period of two years from the date of notification of such regulations:

Time limit for accessibility by service providers.

Provided that the Central Government, in consultation with the National Commission, may grant extension of time for providing certain category of services in accordance with the said regulations.

34 of 1992. 40 **46. (1)** Without prejudice to any function and power of Rehabilitation Council of India constituted under the Rehabilitation Council of India Act, 1992, the appropriate Government shall endeavour to develop human resource for the purposes of this Act and to that end shall,—

Human resource development.

(a) mandate training on disability rights in all courses for the training of Panchayati Raj Members, legislators, administrators, police officials, judges and lawyers;

45 (b) induct disability as a component for all education courses for schools, colleges and University teachers, doctors, nurses, para-medical personnel, social welfare officers,

rural development officers, asha workers, *anganwadi* workers, engineers, architects, other professionals and community workers;

(c) initiate capacity building programmes including training in independent living and community relationships for families, members of community and other stakeholders and care providers on care giving and support;

(d) ensure independence training for persons with disabilities to build community relationships on mutual contribution and respect;

(e) conduct training programmes for sports teachers with focus on sports, games, adventure activities;

(f) any other capacity development measures as may be required.

(2) All universities shall promote teaching and research in disability studies including establishment of study centres for such studies.

(3) In order to fulfil the obligation stated in sub-section (1), the appropriate Government shall in every five years undertake a need based analysis and formulate plans for the recruitment, induction, sensitization, orientation and training of suitable personnel to undertake the various responsibilities under this Act.

Social audit.

**47.** The appropriate Government shall undertake social audit of all general schemes and programmes involving the persons with disabilities to ensure that the scheme and programmes do not have an adverse impact upon the persons with disabilities and need the requirements and concerns of persons with disabilities.

## CHAPTER IX

### REGISTRATION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND GRANTS TO SUCH INSTITUTIONS

Competent authority.

**48.** The State Government shall appoint an authority as it deems fit to be a competent authority for the purposes of this Chapter.

Registration.

**49.** Save as otherwise provided under this Act, no person shall establish or maintain any institution for persons with disabilities except in accordance with a certificate of registration issued in this behalf by the competent authority:

Provided that an institution for care of mentally ill persons, which holds a valid licence under section 8 of the Mental Health Act, 1987 or any other Act for the time being in force, shall not be required to be registered under this Act.

Application and grant of certificate of registration.

**50.** (1) Every application for a certificate of registration shall be made to the competent authority in such form and in such manner as may be prescribed by the State Government.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the competent authority shall make such enquiries as it may deem fit and on being satisfied that the applicant has complied with the requirements of this Act and the rules made thereunder, it shall grant a certificate of registration to the applicant and if not satisfied, the competent authority shall, by order, refuse to grant the certificate applied for:

Provided that before making any order refusing to grant a certificate, the competent authority shall give the applicant a reasonable opportunity of being heard and every order of refusal to grant a certificate shall be communicated to the applicant in writing.

(3) No certificate of registration shall be granted under sub-section (2) unless the institution with respect to which an application has been made is in a position to provide such facilities and meet such standards as may be prescribed by the State Government.

(4) The certificate of registration granted under sub-section (2) ,—

(a) shall, unless revoked under section 51 remain in force for such period as may be prescribed by the State Government;

5

10

15

20

25

30

14 of 1987.

35

40

45

(b) may be renewed from time to time for a like period; and

(c) shall be in such form and shall be subject to such conditions as may be prescribed by the State Government.

(5) An application for renewal of a certificate of registration shall be made not less than sixty days before the expiry of the period of validity.

(6) A copy of the certificate of registration shall be displayed by the institution in a conspicuous place.

(7) Every application made under sub-section (1) or sub-section (5) shall be disposed of by the competent authority within such period as may be prescribed by the State Government.

**51.** (1) The competent authority may, if it has reason to believe that the holder of a certificate of registration granted under sub-section (2) of section 49 has,—

Revocation of registration.

(a) made a statement in relation to any application for the issue or renewal of the certificate which is incorrect or false in material particulars; or

(b) committed or has caused to be committed any breach of rules or any conditions subject to which the certificate was granted,

it may, after making such inquiry, as it deems fit, by order, revoke the certificate:

Provided that no such order shall be made until an opportunity is given to the holder of the certificate to show cause as to why the certificate of registration shall not be revoked.

(2) Where a certificate of registration in respect of an institution has been revoked under sub-section (1), such institution shall cease to function from the date of such revocation:

Provided that where an appeal lies under section 52 against the order of revocation, such institution shall cease to function,—

(a) where no appeal has been preferred immediately on the expiry of the period prescribed for the filing of such appeal; or

(b) where such appeal has been preferred, but the order of revocation has been upheld, from the date of the order of appeal.

(3) On the revocation of a certificate of registration in respect of an institution, the competent authority may direct that any person with disability who is an inmate of such institution on the date of such revocation, shall be—

(a) restored to the custody of his or her parent, spouse or lawful guardian, as the case may be, or

(b) transferred to any other institution specified by the competent authority.

(4) Every institution which holds a certificate of registration which is revoked under this section shall, immediately after such revocation, surrender such certificate to the competent authority.

**52.** (1) Any person aggrieved by the order of the competent authority refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within such period as may be prescribed by the State Government, prefer an appeal to such appellate authority, as may be notified by the State Government against such refusal or revocation.

Appeal.

(2) The order of the appellate authority on such appeal shall be final.

**53.** Nothing contained in this Chapter shall apply to an institution for persons with disabilities established or maintained by the Central Government or a State Government.

Act not to apply to institutions established or maintained by Central or State Government.



Assistance to registered institutions.

**54.** The appropriate Government may within the limits of their economic capacity and development, grant financial assistance to registered institutions to provide services and to implement the schemes and programmes in pursuance of the provisions of the Act.

## CHAPTER X

### CERTIFICATION OF SPECIFIED DISABILITIES

Guidelines for assessment of specified disabilities.

**55.** The Central Government shall notify guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person.

Designation of certifying authorities.

**56.** (1) The appropriate Government shall designate persons, having requisite qualifications and experience, as certifying authorities, who shall be competent to issue the certificate of disability.

(2) The appropriate Government shall also notify the jurisdiction within which and the terms and conditions subject to which, the certifying authority shall perform its certification functions.

Procedure for certification.

**57.** (1) Any person with specified disability, may apply, in such manner as may be prescribed by the Central Government, to a certifying authority having jurisdiction, for issuing of a certificate of disability.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the certifying authority shall assess the disability of the concerned person in accordance with relevant guidelines notified under section 55, and shall, after such assessment, as the case may be,—

(a) issue a certificate of disability to such person, in such form as may be prescribed by the Central Government;

(b) inform him in writing that he has no specified disability.

Appeal against a decision of certifying authority.

**58.** (1) Any person aggrieved with decision of the certifying authority, may appeal against such decision, within such time and in such manner as may be prescribed by the State Government, to such appellate authority as the State Government may designate for the purpose.

(2) On receipt of an appeal, the appellate authority shall decide the appeal in such manner as may be prescribed by the State Government.

## CHAPTER XI

### CENTRAL AND STATE ADVISORY BOARDS ON DISABILITY AND DISTRICT LEVEL COMMITTEE

Constitution of Central Advisory Board on Disability.

**59.** (1) The Central Government shall, by notification, constitute a body to be known as the Central Advisory Board on Disability to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it, under this Act.

(2) The Central Advisory Board shall consist of,—

(a) the Minister in charge of Department of Disability Affairs in the Central Government, Chairperson, *ex officio*;

(b) the Minister of State in charge dealing with Department of Disability Affairs in the Ministry in the Central Government, Vice Chairperson, *ex officio*;

(c) three Members of Parliament, of whom two shall be elected by Lok Sabha and one by the Rajya Sabha; Members, *ex officio*;

(d) the Ministers in charge of Disability Affairs of all States and Administrators or Lieutenant Governors of the Union territories, Members, *ex officio*;

(e) Secretaries to the Government of India in charge of the Ministries or Departments of Disability Affairs, Social Justice and Empowerment, School Education and Literacy, and Higher Education, Women and Child Development, Expenditure,

- Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances, Health and Family Welfare, Rural Development, Panchayati Raj, Industrial Policy and Promotion, Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, Science and Technology, Communications and Information Technology, Legal Affairs, Public Enterprises, Youth Affairs and Sports, Road Transport and Highways and Civil Aviation, Members, *ex officio*;
- (f) Secretary, Planning Commission, Member, *ex officio*;
- (g) Chairperson, Rehabilitation Council of India, Member, *ex officio*;
- (h) Chairperson, National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, Member, *ex officio*;
- (i) Chairman-cum-Managing Director, National Handicapped Finance Development Corporation, Member, *ex officio*;
- (j) Chairman-cum-Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing Corporation, Member, *ex officio*;
- (k) Chairman, Railway Board, Member, *ex officio*;
- (l) Director-General, Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, Member, *ex officio*;
- (m) Director, National Council for Educational Research and Training, Member, *ex officio*;
- (n) Chairperson, National Council of Teacher Education, Member, *ex officio*;
- (o) Chairperson, University Grants Commission, Member, *ex officio*;
- (p) Chairperson, Medical Council of India, Member, *ex officio*;
- (q) Directors of the following Institutes:—
- (i) National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun;
- (ii) National Institute for the Mentally Handicapped, Secundrabad;
- (iii) Pandit Deen Dayal Upadhyay Institute for the Physically Handicapped, New Delhi;
- (iv) Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai;
- (v) National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata;
- (vi) National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack;
- (vii) National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai;
- (viii) National Institute for Mental Health and Sciences, Bangalore;
- (ix) Indian Sign Language Research and Training Centre, New Delhi, Members, *ex officio*;
- (r) Members to be nominated by the Central Government:—
- (i) five Members who are experts in the field of disability and rehabilitation;
- (ii) ten Members, as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-Governmental Organisations concerned with disabilities or disabled persons organisations;

Provided that out of the ten Members nominated, at least, five Members shall be women and at least one person each shall be from Scheduled Castes and Scheduled Tribes;



(iii) up to three representatives of national level chambers of commerce and industry;

(s) Joint Secretary to the Government of India dealing with the subject of disability policy, Member-Secretary, *ex officio*.

Terms and conditions of service of Members.

**60.** (1) Save as otherwise provided under this Act, a Member of the Central Advisory Board nominated under clause (r) of sub-section (2) of section 59 shall hold office for a term of three years from the date of his nomination: 5

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) The Central Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under clause (r) of sub-section (2) of section 59, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same. 10

(3) A Member nominated under clause (r) of sub-section (2) of section 59 may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant. 15

(4) A casual vacancy in the Central Advisory Board shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated.

(5) A Member nominated under sub-clause (i) or sub-clause (iii) of clause (r) of sub-section (2) of section 59 shall be eligible for renomination. 20

(6) The Members nominated under sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (r) of sub-section (2) of section 59 shall receive such allowances as may be prescribed by the Central Government.

Disqualification.

**61.** (1) No person shall be a Member of the Central Advisory Board, who—

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or 25

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or

(c) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or

(d) is, or at any time has been, convicted of an offence under this Act, or 30

(e) has so abused his position in the opinion of the Central Government as a Member so as to render his continuance in the office is prejudicial interests of the general public.

(2) No order of removal shall be made by the Central Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same. 35

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (5) of section 60, a Member who has been removed under this section shall not be eligible for renomination as a Member.

Vacation of seats by Members.

**62.** If a Member of the Central Advisory Board becomes subject to any of the disqualifications specified in section 61, his seat shall become vacant. 40

Meetings of the Central Advisory Board on disability.

**63.** The Central Advisory Board shall meet at least once in every six months and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

**64.** (1) Subject to the provisions of this Act, the Central Advisory Board on disability shall be the national-level consultative and advisory body on disability matters, and shall facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy for the empowerment of persons with disabilities and the full enjoyment of rights.

Functions of  
Central  
Advisory  
Board on  
disability.

5 (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Central Advisory Board on disability shall perform the following functions, namely:—

(a) advise the Central Government and the State Governments on policies, programmes, legislation and projects with respect to disability;

10 (b) develop a national policy to address issues concerning persons with disabilities;

(c) review and coordinate the activities of all Departments of the Government and other Governmental and non-Governmental Organisations which are dealing with matters relating to persons with disabilities;

15 (d) take up the cause of persons with disabilities with the concerned authorities and the international organisations with a view to provide for schemes and projects for the persons with disabilities in the national plans;

(e) recommend steps to ensure accessibility, reasonable accommodation, non-discrimination for persons with disabilities *vis-à-vis* information, services and the built environment and their participation in social life;

20 (f) monitor and evaluate the impact of laws, policies and programmes to achieve full participation of persons with disabilities; and

(g) such other functions as may be assigned from time to time by the Central Government.

25 **65.** (1) Every State Government shall, by notification, constitute a body to be known as the State Advisory Board on disability to exercise the powers conferred on, and to perform the function assigned to it, under this Act.

State  
Advisory  
Board on  
disability.

(2) The State Advisory Board shall consist of—

(a) the Minister in charge of the Department in the State Government dealing with disability matters, Chairperson, *ex officio*;

30 (b) the Minister of State or the Deputy Minister in charge of the Department in the State Government dealing with disability matters, if any, Vice-Chairperson, *ex officio*;

35 (c) secretaries to the State Government in charge of the Departments of Disability Affairs, School Education, Literacy and Higher Education, Women and Child Development, Finance, Personnel and Training, Health and Family Welfare, Rural Development, Panchayati Raj, Industrial Policy and Promotion, Labour and Employment, Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, Science and Technology, Information Technology, Public Enterprises, Youth Affairs and Sports, Road Transport and any other Department, which the State Government considers necessary, Members, *ex officio*;

40 (d) three Members of the State Legislature of whom two shall be elected by the Legislative Assembly and one by the Legislative Council, if any, and where there is no Legislative Council, three Members shall be elected by the Legislative Assembly, Members, *ex officio*;

(e) Members to be nominated by the State Government:—

45 (i) five Members who are experts in the field of disability and rehabilitation;

(ii) five Members to be nominated by the State Government by rotation to represent the districts in such manner as may be prescribed:

Provided that no nomination under this sub-clause shall be made except on the recommendation of the district administration concerned;

(iii) ten persons as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-Governmental Organisations or associations which are concerned with disabilities: 5

Provided that out of the ten persons nominated under this clause, at least, five shall be women and at least one person each shall be from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(iv) not more than three representatives of the State Chamber of Commerce and Industry; 10

(f) officer not below the rank of Joint Secretary in the Department dealing with disability matters in the State Government, Member-Secretary, *ex officio*.

Terms and conditions of service of Members.

**66.** (1) Save as otherwise provided under this Act, a Member of the State Advisory Board nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 65, shall hold office for a term of three years from the date of his nomination: 15

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) The State Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 65, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same. 20

(3) A Member nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 65 may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the State Government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

(4) A casual vacancy in the State Advisory Board shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated. 25

(5) A Member nominated under sub-clause (i) or sub-clause (iii) of clause (e) of sub-section (2) of section 65 shall be eligible for renomination.

(6) the Members nominated under sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (e) of sub-section (2) of section 65 shall receive such allowances as may be prescribed by the State Government. 30

Disqualification.

**67.** (1) No person shall be a Member of the State Advisory Board, who—

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or 35

(c) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude, or

(d) is, or at any time has been, convicted of an offence under this Act, or

(e) has so abused in the opinion of the State Government his position as a Member as to render his continuance in the State Advisory Board detrimental to the interests of the general public. 40

(2) No order of removal shall be made by the State Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (5) of section 66, a Member who has been removed under this section shall not be eligible for renomination as a Member. 45

68. If a Member of the State Advisory Board becomes subject to any of the disqualifications specified in section 67 his seat shall become vacant.

Vacation of seats.

69. The State Advisory Board shall meet at least once in every six months and shall observe such rules or procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed by the State Government.

Meetings of State Advisory Board on disability.

70. (1) Subject to the provisions of this Act, the State Advisory Board shall be the State-level consultative and advisory body on disability matters, and shall facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy for the empowerment of persons with disabilities and the full enjoyment of rights.

Functions of State Advisory Board on disability.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Advisory Board on disability shall perform the following functions, namely:—

(a) advise the State Government on policies, programmes, legislation and projects with respect to disability;

(b) develop a State policy to address issues concerning persons with disabilities;

(c) review and coordinate the activities of all Departments of the State Government and other Governmental and non-Governmental Organisations in the State which are dealing with matters relating to persons with disabilities;

(d) take up the cause of persons with disabilities with the concerned authorities and the international organisations with a view to provide for schemes and projects for the persons with disabilities in the State plans;

(e) recommend steps to ensure accessibility, reasonable accommodation, non-discrimination for persons with disabilities, services and the built environment and their participation in social life on an equal basis with others;

(f) monitor and evaluate the impact of laws, policies and programmes designed to achieve full participation of persons with disabilities; and

(g) such other functions as may be assigned from time to time by the State Government.

71. The State Government shall constitute District-level Committee on disability to perform such functions as may be prescribed by it.

District-level Committee on disability.

72. No act or proceeding of the Central Advisory Board on disability, a State Advisory Board on disability, or a District-level Committee on disability shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of such Board or Committees, as the case may be.

Vacancies not to invalidate proceedings.

## CHAPTER XII

### NATIONAL COMMISSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES

73. (1) The Central Government shall, by notification, constitute a body to be known as the National Commission for persons with disabilities to exercise the powers conferred upon and to perform the following functions, namely:—

Constitution of National Commission for persons with disabilities.

(a) identify, *suo motu* or otherwise, provisions of any law, policies, programmes and procedures, which are inconsistent with this Act, and recommend necessary corrective steps;

(b) inquire, *suo motu* or otherwise with respect to deprivation of rights of persons with disabilities and safeguards available to them in respect of matters for which the Central Government is the appropriate Government and take up the matter with the appropriate authorities for corrective action;

(c) review the safeguards provided by or under this Act or any other law for the time being in force for the protection of rights of persons with disabilities and recommend measures for their effective implementation;

(d) review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with disabilities and recommend appropriate remedial measures; 5

(e) study treaties and other international instruments on the rights of persons with disabilities and make recommendations for their effective implementation;

(f) undertake and promote research in the field of the rights of persons with disabilities;

(g) promote awareness of the rights of persons with disabilities and the safeguards available for their protection; 10

(h) monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes meant for persons with disabilities;

(i) monitor utilisation of funds disbursed by the Central Government for the benefit of persons with disabilities; and 15

(j) such other functions as the Central Government may assign.

(2) The National Commission shall consist of a Chairperson from amongst persons of eminence with a distinguished record of service of not less than twenty-five years in the field of disability, and two Members with distinguished record of service of not less than twenty years in the field of rehabilitation, advocacy, law, management and technology concerning disability matters: 20

Provided that out of the two Members, one Member shall be a person with disability.

(3) The head office of the National Commission shall be in the National Capital Region, Delhi.

Selection and  
appointment  
of  
Chairperson  
and Members.

**74.** (1) The Central Government shall, for the purpose of selection of the Chairperson and the Members of the National Commission, constitute a Selection Committee consisting of— 25

(a) Cabinet Secretary—Chairperson;

(b) Secretary in charge of the Ministry or the Department responsible for administration of this Act as the convener— Member; 30

(c) Secretary in charge of the Ministries or the Departments of the Central Government dealing with health and personnel—Members;

(d) two experts in the field of empowerment and rehabilitation of persons with disability matters as may be nominated by the Central Government—Members.

(2) The Central Government shall, within two months from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or a Member of the National Commission and three months before the superannuation or completion of the term of office of the Chairperson or any Member of that Commission, make a reference to the Selection Committee for filling up of the vacancy. 35

(3) The Selection Committee shall finalise the selection of the Chairperson and Members of the National Commission within two months from the date on which the reference is made to it. 40

(4) The Selection Committee shall recommend a panel of two names for every vacancy referred to it.

(5) The Selection Committee, before recommending any person for appointment as a Chairperson or other Member of the National Commission, shall satisfy itself that such 45

person does not have any financial or other interest, which is likely to affect prejudicially his functions as a Member.

(6) No appointment of the Chairperson or other Member of the National Commission shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

5           **75. (1)** The Chairperson and a Member of the National Commission shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment for another term of three years. Term of office of Chairperson and Members.

10           (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or any Member may—

                  (a) relinquish his office by giving in writing to the Central Government a notice of not less than three months; or

                  (b) be removed from his office in accordance with the provisions of section 76.

15           **76. (1)** Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 75, the Central Government may, by order, remove from office the Chairperson or any other Members, if the Chairperson or as the case may be, such other Member,— Removal of Chairperson and Members.

                  (a) has been adjudged an insolvent; or

20           (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

                  (c) has become physically or mentally incapable of acting as a Member; or

                  (d) has acquired such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or

25           (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(2) No Member shall be removed under clauses (d) and (e) of sub-section (1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

30           **77. (1)** In the event of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the Central Government may designate the senior-most Member to act as the Chairperson until the day on which a Chairperson, appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his office. Member to act as Chairperson and to discharge functions in certain circumstances.

35           (2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Central Government may authorise the senior-most Member to discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

(3) The senior-most Member designated to act under sub-section (1) or to discharge functions of the Chairperson under sub-section (2), of the Chairperson shall continue to draw salary and allowances of a Member.

40           **78.** The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members of the National Commission shall be such as may be prescribed by the Central Government: Terms and conditions of service of Chairperson and Members.

                  Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.



Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of National Commission.	<p><b>79.</b> No act or proceeding of the National Commission shall be invalid merely by reason of—</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the National Commission; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the National Commission; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(c) any irregularity in the procedure of the National Commission not affecting the merits of the case.</p>	5
Procedure for National Commission.	<p><b>80.</b> (1) The National Commission shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit.</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the National Commission shall have the power to lay down, by regulations, its own procedure.</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) All orders and decisions of the National Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the National Commission duly authorised by the Chairperson in this behalf.</p>	10  15
Officers and other staff of National Commission.	<p><b>81.</b> (1) The Central Government shall appoint an officer of the rank of an Additional Secretary to the Government of India, who shall be the Secretary to the National Commission.</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) Subject to such rules as may be made by the Central Government in this behalf, the National Commission may appoint such other administrative and technical officers and staff as it may consider necessary.</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed by the Central Government.</p>	20
Transfer of service of existing employees.	<p><b>82.</b> Subject to the provisions of this Act, every person employed in the Office of Chief Commissioner for persons with disabilities constituted under section 57 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 immediately before the date of establishment of the National Commission shall, on and from such date, become an employee of the National Commission with such designation as the National Commission may determine and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions as he would have held on such date if the National Commission had not been established and shall continue to do so unless and until his employment in the National Commission is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the National Commission:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the tenure, remuneration and terms and conditions of service of any such person shall not be altered to his disadvantage without the previous approval of the Central Government.</p>	25 1 of 1996. 30
Action by appropriate authorities on recommendation of National Commission.	<p><b>83.</b> Whenever the National Commission makes a recommendation to an authority in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 73, that authority shall take necessary action on it, and inform the Commission of the action taken within three months from the date of receipt of the recommendation:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that where an authority does not accept a recommendation, it shall convey reasons for non-acceptance to the National Commission within the period of three months, and shall also inform the aggrieved person.</p>	35 40
National Commission to have certain powers of civil court.	<p><b>84.</b> (1) The National Commission shall, for the purpose of discharging its functions under this Act, have the same powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;</p>	45 5 of 1908.

- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (d) receiving evidence on affidavits; and
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

5 (2) Every proceeding before the National Commission shall be a judicial proceeding  
 45 of 1860. within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the National  
 Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter  
 2 of 1974. XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

10 **85. (1)** The National Commission shall submit an annual report to the Central  
 Government and may at any time submit special reports on any matter which, in its opinion,  
 is of such urgency or importance that it shall not be deferred till submission of the annual  
 report.

Annual and  
 special  
 reports of  
 National  
 Commission.

15 (2) The Central Government shall cause the annual and special reports of the National  
 Commission to be laid before each House of Parliament, along with a memorandum of action  
 taken or proposed to be taken on the recommendations of the Commission and the reasons  
 for non-acceptance of the recommendations, if any.

(3) The annual and special reports shall be prepared in such form, manner and contain  
 such details as may be prescribed by the Central Government.

### CHAPTER XIII

#### 20 STATE COMMISSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES

**86. (1)** A State Government shall constitute a body to be known as the State Commission  
 for persons with disabilities or two or more States on mutual consent can have one  
 Commission in respect of their States to exercise the powers conferred upon and to perform  
 the following functions, namely:—

Constitution  
 of State  
 Commission  
 for persons  
 with  
 disabilities.

25 (a) identify, *suo motu*, or otherwise, provisions of any law, policies, programmes  
 and procedures of the State Government, which are inconsistent with the provisions  
 of this Act, and recommend necessary corrective steps;

30 (b) inquire, *suo motu*, or otherwise, with respect to deprivation of rights of  
 persons with disabilities and safeguards available to them, in respect of matters for  
 which the State Government is the appropriate Government and take up the matter with  
 the appropriate authorities for corrective action;

(c) review the safeguards provided by or under this Act or any other law for the  
 time being in force for the protection of rights of persons with disabilities and recommend  
 measures for their effective implementation;

35 (d) review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with  
 disabilities and recommend appropriate remedial measures;

(e) undertake and promote research in the field of the rights of persons with  
 disabilities;

40 (f) promote awareness of the rights of persons with disabilities and the safeguards  
 available for their protection;

(g) monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes  
 meant for persons with disabilities;

(h) monitor utilisation of funds disbursed by the State Government for the benefit  
 of persons with disabilities; and

45 (i) such other functions as may be assigned by the State Government from time  
 to time.



(2) The State Commission shall consist of a Chairperson from amongst persons of eminence, with a distinguished record of service of not less than twenty years in the field of disability, and two Members, with distinguished record of service of not less than fifteen years in the field of rehabilitation, advocacy, law, management, technology concerning disability matters: 5

Provided that out of the two Members, one Member shall be a person with disability.

(3) The headquarters of the State Commission shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.

Selection and appointment of Chairperson and Members.

**87.** (1) The State Government shall, for the purpose of selection of the Chairperson and the Members of the State Commission, constitute a Selection Committee consisting of— 10

(a) Chief Secretary—Chairperson;

(b) Secretary in charge of the Ministry or the Department responsible for administration of this Act as the convener—Member;

(c) Secretary in charge of the Departments of the State Government dealing with Health, and Personnel—Members; 15

(d) two experts in the field of rehabilitation of persons with disability matters as may be nominated by the State Government—Member.

(2) The State Government shall, within two months from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or a Member of the State Commission and three months before the superannuation or completion of the term of office of the Chairperson or any Member of that Commission, make a reference to the Selection Committee for filling up of the vacancy. 20

(3) The Selection Committee shall finalise the selection of the Chairperson and Members of the State Commission within two months from the date on which the reference is made to it. 25

(4) The Selection Committee shall recommend a panel of two names for every vacancy referred to it.

(5) Before recommending any person for appointment as a Chairperson or other Member of the State Commission, the Selection Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest, which is likely to affect prejudicially his functions as a Member. 30

(6) No appointment of the Chairperson or other Member of the State Commission shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

Term of office of Chairperson and Members.

**88.** (1) The Chairperson and Members of the State Commission shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment for another term of three years. 35

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or any Member may—

(a) relinquish his office by giving in writing to the State Government a notice of not less than three months; or 40

(b) be removed from his office in accordance with the provisions of section 89.

Removal of Chairperson and Members.

**89.** (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 88, the State Government may, by order, remove from office the Chairperson or any other Members, if the Chairperson or, as the case may be, such other Member,— 45

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as a Member; or

5 (d) has acquired such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(2) No Member shall be removed under clauses (d) and (e) of sub-section (1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

10 **90.** (1) In the event of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the State Government may designate the senior-most Member to act as the Chairperson until the day on which a Chairperson, appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy, enters upon his office.

Member to act as Chairperson and to discharge functions in certain circumstances.

15 (2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the State Government may authorise the senior-most Member to discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

20 (3) The senior-most Member designated to act under sub-section (1) or to discharge functions of the Chairperson under sub-section (2), of the Chairperson shall continue to draw salary and allowances of a Member.

**91.** The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members of the State Commission shall be such as may be prescribed by the State Government:

Terms and conditions of service of Chairperson and Members.

25 Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.

**92.** No act or proceeding of the State Commission shall be invalid merely by reason of—

Vacancies, etc., not to invalidate the proceedings of State Commission.

30 (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the State Commission; or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the State Commission; or

(c) any irregularity in the procedure of the State Commission not affecting the merits of the case.

35 **93.** (1) The State Commission shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit.

Procedure of State Commission.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the State Commission shall have the powers to lay down, by regulations, its own procedure.

40 (3) All orders and decisions of the State Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the State Commission duly authorised by the Chairperson in this behalf.

**94.** (1) The State Government shall appoint an officer of the rank of Additional Secretary to the State Government who shall be the Secretary to the Commission.

Officers and other staff of State Commission.

45 (2) Subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other administrative and technical officers and staff as it may consider necessary.

(3) The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed by the State Government.

Transfer of service of existing employees to State Commission.

**95.** Subject to the provisions of this Act, every person employed in the Office of State Commissioner for persons with disabilities constituted under section 60 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 immediately before the date of establishment of the State Commission shall, on and from such date becomes an employee of the State Commission with such designation as the State Commission may determine and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions as he would have held on such date if the State Commission had not been established and shall continue to do so unless and until his employment in the State Commission is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the State Commission:

5 1 of 1996.

10

Provided that the tenure, remuneration and terms and conditions of service of any such person shall not be altered to his disadvantage without the approval of the Central Government.

15

Annual and special reports of State Commission.

**96. (1)** The State Commission shall submit an annual report to the State Government and may at any time submit special reports on any matter which, in its opinion, is of such urgency or importance that it shall not be deferred till submission of the annual report.

(2) The State Government shall cause the annual and special reports of the State Commission to be laid before each House of State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendations of the State Commission and the reasons for non-acceptance of the recommendations, if any.

20

(3) The annual and special reports shall be prepared in such form, manner and contain such details as may be prescribed by the State Government.

25

Transitory provisions.

**97.** The Chief Commissioner for persons with disabilities and the State Commissioners for persons with disabilities appointed under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, shall continue to so function and exercise the powers conferred on them under that Act, until the National Commission and the State Commission are constituted under this Act, but on the constitution of the National Commission and the State Commission, as the case may be, the Chief Commissioner for persons with disabilities and the State Commissioners for persons with disabilities shall cease to hold office.

1 of 1996.

30

CHAPTER XIV

SPECIAL COURT

35

Special Court.

**98.** For the purpose of providing speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification, specify for each district, a Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act.

Special Public Prosecutor.

**99. (1)** For every Special Court, the State Government may, by notification, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate, who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.

40

(2) The Special Public Prosecutor appointed under sub-section (1) shall be entitled to receive such fees or remuneration as may be prescribed by the State Government.

CHAPTER XV

45

NATIONAL FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

National Fund for persons with disabilities.

**100. (1)** There shall be constituted a Fund to be called the National Fund for persons with disabilities and there shall be credited thereto—

(a) all sums available under the Fund for people with disabilities, constituted

6 of 1890.

*vide* notification no. S.O. 573 (E), dated the 11th August, 1983 and the Trust Fund for Empowerment of Persons with Disabilities, constituted *vide* notification No. 30-03/2004-DDII, dated the 21st November, 2006, under the Charitable Endowment Act, 1890.

5 (b) all sums payable by banks, corporations, financial institutions in pursuance of judgment dated the 16th April, 2004 of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 4655 and 5218 of 2000;

(c) all sums received by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;

(d) all sums received from the Central Government including grants-in-aid;

10 (e) all sums from such other sources as may be decided by the Central Government.

(2) The Fund for persons with disabilities shall be utilised and managed in such manner as may be prescribed.

15 **101.** (1) The Central Government shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts of the Fund including the income and expenditure accounts in such form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

Accounts and audit.

20 (2) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable from the Fund to the Comptroller and Auditor-General of India.

25 (3) The Comptroller and Auditor-General of India and any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Fund shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India generally has in connection with the audit of the Government account, and in particular, shall have the right to demand production of books of account, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Fund.

(4) The accounts of the Fund as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be laid before each House of Parliament by the Central Government.

30

## CHAPTER XVI

### OFFENCES AND PENALTIES

35 **102.** Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or of any rule or regulation made thereunder shall for first contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both, and for any subsequent contravention with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees or with both.

Punishment for contravention of provisions of Act or rules or regulations made thereunder.

40 **103.** (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by companies.

45 Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. 5

*Explanation.*—For the purposes of this section,—

(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm. 10

Punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with benchmark disabilities.

**104.** Whoever, fraudulently avails or attempts to avail any benefit meant for persons with benchmark disabilities, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

Punishment for offences of atrocities.

**105.** Whoever,—

(a) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a person with disability in any place within public view; 15

(b) assaults or uses force to any person with disability with intent to dishonour him or outrage the modesty of a woman with disability;

(c) having the actual charge or control over a person with disability voluntarily or knowingly denies food or fluids to him or her; 20

(d) being in a position to dominate the will of a child or woman with disability and uses that position to exploit her sexually;

(e) voluntarily injures, damages or interferes with the use of any limb or sense or any supporting device of a person with disability;

(f) performs, conducts or directs any medical procedure to be performed on a woman with disability which leads to or is likely to lead to termination of pregnancy without her express consent except in cases where medical procedure for termination of pregnancy is done in severe cases of disability and with the opinion of a registered medical practitioner and also with the consent of the guardian of the woman with disability, 25  
30

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.

Punishment for failure to furnish information.

**106.** Whoever, fails to produce any book, account or other documents or to furnish any statement, information or particulars which, under this Act or any order, regulation or direction made or given thereunder, is duty bound to produce or furnish or to answer any question put in pursuance of the provisions of this Act or of any order, regulation or direction made or given thereunder, shall be punishable with fine which may extend to twenty-five thousand rupees in respect of each offence, and in case of continued failure or refusal, with further fine which may extend to one thousand rupees for each day, of continued failure or refusal after the date of original order imposing punishment of fine. 35  
40

Previous sanction of appropriate Government.

**107.** No Court shall take cognizance of an offence alleged to have been committed by an employee of the appropriate Government under this Chapter, except with the previous sanction of the appropriate Government or a complaint is filed by an officer authorised by it in this behalf.

**108.** Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under any other Central or State Act, then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment only under such Act as provides for punishment which is greater in degree.

Alternative  
punishments.

5

## CHAPTER XVII

### MISCELLANEOUS

**109.** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

Application  
of other laws  
not barred.

**110.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the appropriate Government or any officer of the appropriate Government or any officer or employee of the National Commission or State Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Protection of  
action taken  
in good faith.

**111.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to  
remove  
difficulties.

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be, after it is made, before each House of Parliament.

**112.** (1) On the recommendations made by the appropriate Government or otherwise, if the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the Schedule and any such notification being issued, the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

Power to  
amend  
Schedule.

(2) Every such notification shall, as soon as possible after it is issued, shall be laid before each House of Parliament.

**113.** (1) The Central Government may, subject to the condition of previous publication, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Power of  
Central  
Government  
to make  
rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the manner of constituting the Ethics Committee under sub-section (2) of section 5;

(b) the manner of notifying the equal opportunity policy under sub-section (1) of section 20;

(c) the form and manner of maintaining records by every establishment under sub-section (1) of section 21;

(d) the manner of maintenance of register of complaints by grievance redressal officer under sub-section (3) of section 22;

(e) the manner of furnishing information and return by establishment to the Special Employment Exchange under section 35;

(f) the composition of the Assessment Board under sub-section (2) and manner of assessment to be made by the Assessment Board under sub-section (3) of section 37;

(g) the manner of application for issuance of certificate of disability under sub-section (1) and form of certificate of disability under sub-section (2) of section 57;



(h) the allowances to be paid to nominated Members of the Central Advisory Board under sub-section (6) of section 60;

(i) the rules of procedure for transaction of business in the meetings of the Central Advisory Board under section 63;

(j) the salaries and allowances and other conditions of services of Chairperson and Members of the National Commission under section 78; 5

(k) the salaries and allowances and conditions of services of officers and staff of the National Commission under sub-section (3) of section 81;

(l) the form, manner and content of annual report to be prepared and submitted by the National Commission under sub-section (3) of section 85; 10

(m) the procedure, manner of utilisation and management of the Fund under sub-section (2) of 100; and

(n) the form for preparation of accounts of Fund under sub-section (1) of section 101.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. 15 20

Power of State Government to make rules.

**114.** (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:— 25

(a) the manner of constituting the ethics committee under sub-section (2) of section 5;

(b) the form and manner of making an application for certificate of registration under sub-section (1) of section 50; 30

(c) the facilities to be provided and standards to be met by institutions for grant of certificate of registration under sub-section (3) of section 50;

(d) the validity of certificate of registration, the form of, and conditions attached to, certificate of registration under sub-section (4) of section 50;

(e) the period of disposal of application for certificate of registration under sub-section (7) of section 50; 35

(f) the period within which an appeal to be made under sub-section (1) of section 52;

(g) the time and manner of appealing against the order of certifying authority under sub-section (1) and manner of disposal of such appeal under sub-section (2) of section 58; 40

(h) the allowances to be paid to nominated Members of the State Advisory Board under sub-section (6) of section 66;

(i) the rules of procedure for transaction of business in the meetings of the State Advisory Board under section 69; 45

(j) the composition and functions of District Level Committee under section 71;



(k) salaries, allowances and other conditions of services of Chairperson and Members of the State Commission under section 91;

(l) the salaries, allowances and conditions of services of officers and staff of the State Commission under sub-section (3) of section 94;

5 (m) the form, manner and content of annual and special reports to be prepared and submitted by the State Commission under sub-section (3) of section 96; and

(n) the fee or remuneration to be paid to the Special Public Prosecutor under sub-section (2) of section 99.

(3) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as  
10 may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such State Legislature consists of one House, before that House.

**115.** (1) The National Commission may, with the previous approval of the Central Government and after previous publication, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

Power of National Commission to make regulations.

15 (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) standards for accessibility under section 39; and

(b) the rules of procedure for transaction of business under section 80.

(3) Every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is  
20 made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified  
25 form, or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**116.** (1) The State Commission may, with the previous approval of the Central Government and after previous publication, by notification, make regulations consistent  
30 with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act:

Power of State Commission to make regulations.

Provided that where any regulation has already been issued in any such matter by the National Commission, such regulations shall prevail over the regulations of the State Commission pertaining to the said matter.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the  
35 State Commission shall make regulations relating to the rules of procedure for transaction of business under section 93.

(3) Every regulation made by the State Commission under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such State Legislature consists of one House, before that House.

40 **117.** (1) The Persons with Disabilities (Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Act, anything done or any action taken under the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

## THE SCHEDULE

[See clause (x) of section 2]

### SPECIFIED DISABILITIES

1. “Autism Spectrum Disorder” means a neuro-psychological condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person’s ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

2. “blindness” means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction,—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity not exceeding 3/60 or 10/200 (Snellen) in the better eye; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of 10 degree or worse.

3. “cerebral palsy” means a group of non-progressive neurological condition of a person affecting body movements and muscle coordination caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth.

4. “chronic neurological conditions” means a condition that has its origin in some part of person’s nervous system lasting for a long period of time or marked by frequent recurrence.

5. “deafblindness” means a condition in which a person may have a combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems and include,—

(i) moderate to profound hearing and significant visual impairments;

(ii) moderate to profound hearing and significant visual impairments and other significant disabilities;

(iii) central processing problems of vision and hearing;

(iv) progressive sensory impairments or significant visual impairment; and

(v) possible loss of auditory processing mechanisms (associated with severe physical disability or severe cognitive disability) and severe communication delay.

6. “hemophilia” means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding.

7. “hearing Impairment” means loss of sixty decibels hearing level or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

8. “intellectual disability” means a condition characterised by significant limitations both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour, which covers a range of everyday social and practical skills.

9. “leprosy cured person” means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him or her from undertaking any gainful occupation, and the expression “leprosy cured” shall be construed accordingly.

10. “locomotor disability” means a person’s inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both.

11. “low-vision” means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or 20/60 and less than 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of more than 10 and up to 40 degree.

12. “mental illness” means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include mental retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

13. “muscular dystrophy” means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect or missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue.

14. “multiple sclerosis” means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other.

15. “specific learning disabilities” means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia.

16. “speech and language disability” means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

17. “thalassemia” means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of hemoglobin.

18. “sickle cell disease” means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; “hemolytic” refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

19. “multiple disability” means two or more of the specified disabilities mentioned at serial numbers 1 to 18, occurring in a person at the same time.

20. Any other category as may be notified by the Central Government.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 was enacted to give effect to the Proclamation on the Full Participation and Equality of the People with Disabilities in the Asian and Pacific Region. The Act defines Persons with Disabilities as those having not less than forty per cent. disability and identified seven categories of disabilities, namely, blindness, low vision, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation, mental illness and leprosy-cured.

2. Over a period of time, the conceptual understanding of the rights of persons with disabilities has become more clear and there has been worldwide change in approach to handle the issues concerning persons with disabilities. The United Nations adopted its Convention on the Rights of Persons with Disabilities laying down the principles to be followed by the States Parties for empowerment of persons with disabilities. India signed the said Convention and subsequently ratified the same on the 1st day of October, 2007. The Convention came into effect on the 3rd day of May, 2008. Being a signatory to the Convention, India has an international obligation to comply with the provisions of the said Convention which required an entirely new legislation.

3. In 2010, an Expert Committee constituted under the chairmanship of Dr. Sudha Kaul, Vice-Chairperson, Indian Institute of Cerebral Palsy, Kolkata submitted its report in 2011, suggesting a Draft Bill relating to the Rights of Persons with Disabilities. The draft Bill was extensively debated upon at various levels involving State Governments and Union territories and various stakeholders.

4. The salient features of the Rights of Persons with Disabilities Bill, 2014, *inter alia*, are:

(i) Nineteen specified disabilities have been defined;

(ii) the persons with disabilities enjoy various rights such as right to equality, life with dignity, respect for his or her integrity, etc., equally with others;

(iii) duties and responsibilities of the appropriate Government have been enumerated;

(iv) all educational institutions funded by appropriate Government shall provide inclusive education to the children with disabilities;

(v) a National Fund is proposed to provide financial support to persons with disabilities;

(vi) stakeholders' participation in the policy making through Central and State Advisory Boards;

(vii) increase in reservation in posts from existing three per cent. to five per cent. in the vacancies for persons or class of persons with benchmark disabilities in every establishment and reservation of seats for students with benchmark disabilities in higher educational institutions;

(viii) setting up of National Commission and State Commission to act as Grievance Redressal Mechanism, monitor implementation of the proposed legislation replacing the Chief Commissioner and State Commissioners for persons with disabilities, respectively;

(ix) guidelines to be issued by the Central Government for issuance of certificates of specified disabilities;

(x) penalties for offences committed against persons with disabilities; and

(xi) Court of Session to be designated as Special Court by the State Government in every district to try offences.

5. The Bill seeks to achieve the above objects.

MALLIKARJUN KHARGE.

NEW DELHI;  
*The 31st January, 2014.*

*Notes on clauses*

*Clause 1.*—This clause seeks to provide for short title, extent and commencement of the proposed legislation.

*Clause 2.*—This clause seeks to provide the definitions of certain words and expressions used in various provisions of the Bill.

*Clause 3.*—This clause seeks to provide that the appropriate Government shall ensure that persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.

*Clause 4.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to endeavour that the persons with disabilities enjoy the right to live in community.

*Clause 5.*—This clause seeks to provide for the responsibility of the appropriate Government to take measures for protecting the persons with disabilities from being subjected to torture, cruelty and inhuman treatment.

*Clause 6.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to take measures to protect persons with disabilities from all forms of abuse, violence and exploitation. It also seeks to specify the responsibility of the Executive Magistrate and Police Officers to deal with the complaint regarding any abuse, violence and exploitation.

*Clause 7.*—This clause seeks to ensure that the National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority and District Management Authority to take appropriate measures for the safety and protection of persons with disabilities in situations of risks.

*Clause 8.*—This clause seeks to provide for the right of the children with disability to live with their family and in certain exceptional cases the competent court may place the child in shelter homes, as may be required.

*Clause 9.*—This clause seeks to provide for the reproductive rights of persons with disabilities and prohibits any medical procedure to be carried out on persons with disabilities which leads to infertility without his or her free and informed consent.

*Clause 10.*—This clause seeks to provide for the responsibility of the Election Commission of India and State Elections Commissions to ensure that persons with disabilities have accessibility to voting.

*Clause 11.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to ensure that the persons with disabilities have access to any Court, Tribunal, Authority, Commission or any other judicial or *quasi-judicial* body.

*Clause 12.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to ensure that the persons with disabilities have right, equally with others, to own or inherit property, movable or immovable, control their financial affairs and have access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit.

*Clause 13.*—This clause seeks to provide for grant of limited guardianship and plenary guardianship by the District Court for mentally ill persons who can take all legal binding decisions on his or her behalf.

*Clause 14.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to designate authorities to mobilise community support for persons with disabilities.

*Clause 15.*—This clause seeks to provide for the duties of the educational institutions funded by the appropriate Government and local authorities to achieve the goal of inclusive

education wherein students with and without disabilities learn together and systems of teaching and learning are suitably adopted to meet the learning needs of different types of students with disabilities.

*Clause 16.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government and local authorities to take specific measures to promote and facilitate inclusive education.

*Clause 17.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government and local authorities to take measures to promote adult education for persons with disabilities.

*Clause 18.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to formulate schemes and programmes to promote vocational training and self-employment of persons with disabilities.

*Clause 19.*—This clause seeks to prohibit every establishment to discriminate any person with disability in any matter relating to employment.

*Clause 20.*—This clause seeks to provide for the responsibility of every establishment to notify equal opportunity policy.

*Clause 21.*—This clause seeks to provide for every establishment to maintain record regarding employment and facilities provided to persons with disabilities.

*Clause 22.*—This clause seeks to provide for every establishment to appoint Grievance Redressal Officer to inquire the complaints regarding discrimination in employment.

*Clause 23.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to formulate schemes and programmes to safeguard and promote the rights of persons with disabilities and enumerates various areas for such schemes.

*Clause 24.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government and local authorities to take measures to provide free and barrier free access to health care facilities in the vicinity and also casts responsibilities on them to promote health care and prevent occurrence of disability.

*Clause 25.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to make insurance schemes for their employees with disabilities.

*Clause 26.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government and local authority to undertake programmes for rehabilitation of persons with disabilities.

*Clause 27.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to undertake research and development on issues concerning empowerment of persons with disabilities.

*Clause 28.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government and local authority to take measures to facilitate the persons with disabilities to participate in cultural life and recreational activities.

*Clause 29.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to take measures to promote participation of persons with disabilities in sporting activities.

*Clause 30.*—This clause seeks to provide for right of every child with benchmark disability between the age of six and eighteen years to free education.

*Clause 31.*—This clause seeks to provide for reservation of seats in Government and Government-aided higher educational institutions for the persons with benchmark disabilities.

*Clause 32.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to identify posts in establishments to be reserved for the persons with benchmark disabilities.

*Clause 33.*—This clause seeks to provide for reservation of vacancies in establishments meant for persons with disabilities and also provides for the manner of recruitment to fill up such vacancies.



*Clause 34.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government and the local authorities to give incentives to promote employment of persons with benchmark disabilities.

*Clause 35.*—This clause seeks to provide for the establishment to furnish information relating to appointment of persons with benchmark disabilities to Special Employment Exchange.

*Clause 36.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to make special schemes and developmental programmes for the persons with benchmark disabilities.

*Clause 37.*—This clause seeks to provide for the persons with disabilities requiring high support to apply before an authority and also provides for the duty of such authority to make arrangement for providing such support on the basis of recommendations of an Assessment Board.

*Clause 38.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to conduct, encourage, support or promote awareness campaigns and sensitisation programmes regarding protection of rights of persons with disabilities.

*Clause 39.*—This clause seeks to provide for the National Commission to lay down standards of accessibility for the physical environment, transportation, informational communication and other facilities and services provided to the public.

*Clause 40.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to take suitable measures to facilitate and access to all modes of transport by the persons with disabilities.

*Clause 41.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to take measures to ensure that the persons with disabilities have access to information and communication technology.

*Clause 42.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to take measures to promote development and distribution of universal design consumer products for the general use of persons with disabilities.

*Clause 43.*—This clause seeks to provide for mandatory observance of accessibility norms by the establishments.

*Clause 44.*—This clause seeks to provide for the time limit for making existing infrastructure and premises accessible for the persons with disabilities and also provides for the action to be taken by the appropriate Government and local authorities for that purpose.

*Clause 45.*—This clause seeks to provide for the timeline for every service provider to meet the accessibility norms to be formulated by the National Commission.

*Clause 46.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to take various measures for human resource development for the purpose of achieving the objectives of the proposed legislation.

*Clause 47.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to undertake social audit of all general schemes and programmes involving persons with disabilities.

*Clause 48.*—This clause seeks to empower the State Government to appoint a competent authority for the purpose of registration of institutions for persons with disabilities.

*Clause 49.*—This clause seeks to provide for the requirement of registration for establishment of any institution of persons with disabilities.

*Clause 50.*—This clause seeks to provide for procedure for grant of certificate of registration of the institutions for the persons with disabilities by the State Government.

*Clause 51.*—This clause seeks to provide for the conditions under which and the procedure to be followed for revocation of registration of the institutions for persons with disabilities.

*Clause 52.*—This clause seeks to provide for the arrangement of making an appeal before the appellate authority regarding the decision of the competent authority refusing to grant a certificate of registration or revoking such certificate of registration.

*Clause 53.*—This clause seeks to exempt the institutions established or maintained by the Central or State Government from the requirement of registration.

*Clause 54.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government, within their limits of economic capacity and development to provide financial assistance to the registered institutions.

*Clause 55.*—This clause seeks to empower the Central Government to notify guidelines for assessment of specified disabilities.

*Clause 56.*—This clause seeks to provide for the appropriate Government to designate certifying authority for the purpose of issuance of certificate of disability.

*Clause 57.*—This clause seeks to provide for the procedure for issuance of certificate of disability to any person with specified disability.

*Clause 58.*—This clause seeks to provide for making an appeal before an appellate authority as designated by the State Government against the decision of certifying authority.

*Clause 59.*—This clause seeks to provide for the Central Government to constitute a Central Advisory Board on disability.

*Clause 60.*—This clause seeks to provide for the terms and conditions of the nominated members of the Central Advisory Board.

*Clause 61.*—This clause seeks to provide for the grounds of disqualification of a member of the Central Advisory Board.

*Clause 62.*—This clause seeks to provide for the vacation of seats of members on account of disqualification.

*Clause 63.*—This clause seeks to provide for the meetings of the Central Advisory Board and empowers the Central Government to make rules of procedure for transaction of business in its meetings.

*Clause 64.*—This clause seeks to provide for the functions of the Central Advisory Board.

*Clause 65.*—This clause seeks to provide for the State Government to constitute State Advisory Board on disability.

*Clause 66.*—This clause seeks to provide for the terms and conditions of service of members of State Advisory Board.

*Clause 67.*—This clause seeks to provide for the grounds of disqualification of a member of the State Advisory Board.

*Clause 68.*—This clause seeks to provide for vacation of seats by members of State Advisory Board on account of disqualification.

*Clause 69.*—This clause seeks to provide for meetings of the State Advisory Board and empowers the State Government to make rules of procedure for transaction of business in its meetings.

*Clause 70.*—This clause seeks to provide for the functions of the State Advisory Board on disability.

*Clause 71.*—This clause seeks to empower the State Government to constitute District-level Committee on disability.

*Clause 72.*—This clause seeks to provide that vacancies in Central Advisory Board, State Advisory Board or district level Committee not to invalidate their proceedings.

*Clause 73.*—This clause seeks to provide for the Central Government to constitute National Commission for persons with disabilities and enumerates its functions.

*Clause 74.*—This clause seeks to provide for procedure for selection and appointment of Chairperson and Members of the National Commission.

*Clause 75.*—This clause seeks to provide for term of office of Chairperson and Members of the National Commission.

*Clause 76.*—This clause seeks to provide for grounds for removal of Chairperson and Members of the National Commission.

*Clause 77.*—This clause seeks to provide for the circumstances under which senior most member of the National Commission can act as Chairperson and to discharge his functions.

*Clause 78.*—This clause seeks to provide for terms and conditions of service of Chairperson and Members of the National Commission.

*Clause 79.*—This clause seeks to provide for vacancies not to invalidate the proceedings of the National Commission.

*Clause 80.*—This clause seeks to provide for procedure to be followed by the National Commission for transaction of its business and empowers the National Commission to make regulations.

*Clause 81.*—This clause seeks to provide for provisions for officers and staff of the National Commission and their conditions of service.

*Clause 82.*—This clause seeks to provide for transfer of services of officers and staff of the existing office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities to National Commission.

*Clause 83.*—This clause seeks to provide the duty of concerned authorities to take necessary action as per the recommendations of the National Commission.

*Clause 84.*—This clause seeks to provide for the National Commission to exercise the powers of a Civil Court in certain matters.

*Clause 85.*—This clause seeks to provide for the National Commission to submit annual and special reports and laying of such reports before each House of Parliament.

*Clause 86.*—This clause seeks to provide for the State Government to constitute State Commission for persons with disabilities and its functions.

*Clause 87.*—This clause seeks to provide for procedure for selection and appointment of Chairperson and Members of State Commission.

*Clause 88.*—This clause seeks to provide for term of office of Chairperson and Members of the State Commission.

*Clause 89.*—This clause seeks to provide for grounds of removal of Chairperson and Members of the State Commission.

*Clause 90.*—This clause seeks to provide for the circumstances under which senior most Member of the State Commission to act as Chairperson and to discharge his functions.

*Clause 91.*—This clause seeks to provide for terms and conditions of service of Chairperson and Member of State Commission.

*Clause 92.*—This clause seeks to provide for vacancies not to invalidate the proceedings of the State Commission.

*Clause 93.*—This clause seeks to provide for procedure to be followed by the State Commission for transaction of its business and empowers the State Commission to make regulations.

*Clause 94.*—This clause seeks to provide for provisions for officers and staff of State Commission and their conditions of service.

*Clause 95.*—This clause seeks to provide for transfer of services of officers and staff of the existing office of the State Commissioner for Persons with Disabilities to State Commission.

*Clause 96.*—This clause seeks to provide for the State Commission to submit annual and special reports and laying of such reports before each House of State Legislature where such Legislature consists of two Houses or where such Legislature consists of one House, before that House.

*Clause 97.*—This clause seeks to provide for transitory provisions wherein the Chief Commissioner and the State Commissioner for persons with disabilities will continue to function until National Commission and the State Commissioners respectively are constituted.

*Clause 98.*—This clause seeks to provide for the State Government to designate a Court of Session in each district to be a Special Court to facilitate speedy trial of offences against persons with disabilities.

*Clause 99.*—This clause seeks to provide for the State Government to appoint Special Public Prosecutor to conduct cases concerning persons with disabilities.

*Clause 100.*—This clause seeks to provide for the Central Government to constitute National Fund for the persons with disabilities.

*Clause 101.*—This clause seeks to provide for the Central Government to maintain accounts of the National Fund and conduct audit of the Fund through Comptroller and Auditor General of India.

*Clause 102.*—This clause seeks to provide for punishment for contravention of provisions of the proposed legislation or rules or regulations made thereunder.

*Clause 103.*—This clause seeks to provide for offences by companies.

*Clause 104.*—This clause seeks to provide for punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with disabilities.

*Clause 105.*—This clause seeks to provide for punishments for various acts of atrocities against persons with disabilities.

*Clause 106.*—This clause seeks to provide for punishment for failure to furnish information in terms of the provisions of the proposed legislation.

*Clause 107.*—This clause seeks to provide for requirement of previous sanction of appropriate Government to proceed against its employees in case of offences alleged to have been committed by them.

*Clause 108.*—This clause seeks to provide for alternative punishment where punishment for such offences has been specified under any other Central or State Act.

*Clause 109.*—This clause seeks to provide for the provisions of the proposed legislation to be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

*Clause 110.*—This clause seeks to provide for protection of action taken in good faith.

*Clause 111.*—This clause seeks to provide for the power to remove difficulties.

*Clause 112.*—This clause seeks to empower the Central Government to amend the Schedule.

*Clause 113.*—This clause seeks to empower the Central Government to make rules to carry out the provisions of the proposed legislation and provide for laying of every such rule, as soon as may be after it is made, before each House of the Parliament.

*Clause 114.*—This clause seeks to empower the State Government to make rules to carry out the provisions of the proposed legislation and provide for laying of every such rule, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses or where such State Legislature consists of one House, before that House.

*Clause 115.*—This clause seeks to empower the National Commission to make regulations and provide for laying of every such regulation, as soon as may be after it is made, before each House of the Parliament.

*Clause 116.*—This clause seeks to empower the State Commission to make regulations and provide for laying of every such regulation, as soon as after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses or where such State Legislature consists of one House, before that House.

*Clause 117.*—This clause seeks to provide for repeal of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Protection) Act, 1995 and savings of the action taken thereunder.

## FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 16 of the Bill provides that the appropriate Government and local authorities for achieving inclusive education to the children with disabilities shall take a number of measures which include conducting surveys to identify children with disabilities, establish adequate teacher training institutions, provide books and other learning materials, provide scholarships and promote research to improve learning.

2. Clause 18 of the Bill provides that the appropriate Government shall formulate schemes and programmes including provision of loans at concessional rates, facilitate and support employment of persons with disabilities especially for their vocational training and self-employment.

3. Clause 23 of the Bill provides that the appropriate Government shall, within the limit of its economic capacity and development, formulate necessary schemes and programmes to safeguard and promote the right of persons with disabilities for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community, which include provision of community centres; access to safe drinking water; accessible sanitation facility; aids and appliances; disability pension; unemployment allowance; care-giver allowance; etc.

4. Sub clause (i) of clause 24 of the Bill provides that the appropriate Government and the local authorities shall take necessary measures for the persons with disabilities to provide (a) free health care in the vicinity specially in rural area subject to such family income as may be notified; (b) barrier-free access in all parts of the hospitals and other healthcare institutions and centres run or aided by them; (c) priority in attendance and treatment. Sub-clause (ii) of this clause provides that the appropriate Governments and the local authorities shall take measures and make schemes or programmes to promote health care and prevent the occurrence of disabilities.

5. Sub-clause (1) of clause 26 of the Bill provides that the appropriate Government and the local authorities shall, within their economic capacity and development, undertake or cause to be undertaken services and programmes of rehabilitation, particularly in the areas of health, education and employment for all persons with disabilities. Sub-clause (2) of this clause provides that the appropriate Government and the local authorities may grant financial assistance to Non-Governmental Organisations.

6. Clause 27 of the Bill provides that the appropriate Government shall initiate or cause to be initiated research and development through individuals and institutions on issues which shall enhance habilitation and rehabilitation and on such other issues which are necessary for the empowerment of persons with disabilities.

7. Clause 28 of the Bill provides that the appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote and protect the rights of all persons with disabilities to have a cultural life and to participate in recreational activities equally with others which include providing facilities, recreation centres and developing assistive devices and equipments.

8. Clause 29 of the Bill provides that the appropriate Government shall take measures and services ranging from support infrastructure facilities, developing technology and allocating funds for training of persons with disabilities.

9. Sub-clause (2) of clause 30 of the Bill provides that the appropriate Government and local authorities shall ensure that every child with benchmark disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of eighteen years.

10. Clause 38 of the Bill provides that the appropriate Government shall conduct, encourage, support or promote awareness campaigns and sensitisation programmes to ensure

that the rights of the persons with disabilities contained in the proposed legislation are protected.

11. Clause 40 of the Bill provides that the appropriate Government shall take suitable measures to provide—(a) facilities for persons with disabilities at bus stops, railway stations and airports conforming to the accessibility standards relating to parking spaces, toilets, ticketing counters and ticketing machines; (b) access to all modes of transport that conform the design standards, including retrofitting old modes of transport, wherever technically feasible and safe for persons with disabilities, economically viable and without entailing major structural changes in design; and (c) accessible roads to address mobility necessary for persons with disabilities.

12. Sub-clause (2) of clause 44 of the Bill provides that the appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritisation, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centres, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops.

13. Clause 46 of the Bill provides that the appropriate Government shall endeavour to develop human resource, which includes training for various categories of functionaries, governmental and non-governmental.

14. Clause 54 of the Bill provides that the appropriate Government may, within the limits of their economic capacity and development, grant financial assistance to registered institutions to provide services and to implement the schemes and programmes in pursuance of the proposed legislation.

15. Sub-clause (6) of clause 60 of the Bill provides for allowances payable by the Central Government to certain nominated Members of the Central Advisory Board. Similarly, sub-clause (6) of clause 66 provides for allowances payable by the State Government to the certain nominated Members of the State Advisory Board.

16. Clause 73 of the Bill provides that the Central Government shall constitute National Commission for persons with disabilities to exercise the powers conferred upon and to perform the functions contained in the proposed legislation. The office of the National Commission will be established by way of reshaping of the office of the existing Chief Commissioner for persons with disabilities. Similarly, the State Government shall constitute State Commission for persons with disabilities to exercise the powers conferred upon and to perform the functions contained in the proposed legislation in terms of clause 86 of the Bill. The State Commissions will be set up by way of reshaping of the office of existing State Commissioners.

17. Clause 99 of the Bill provides for appointment of special public prosecutor for conducting cases concerning offences against persons with disabilities and payment of fees and remunerations to such public prosecutor by the State Governments.

There is no easy way of estimating the full financial burden likely to be incurred if all the provisions of the proposed legislation if enacted were implemented in such a manner that all persons with disabilities requiring such services were to be covered. However, some of these tasks are currently funded through approved plan schemes which the Central Government intends to expand in the XII Plan period. Some tasks which are currently not funded by the Central Government and which would be necessary, should the proposed legislation be enacted, are also proposed to be funded through Plan schemes. Funding through Plan schemes for the implementation of the proposed legislation would need to continue in subsequent plan periods also. Provisioning for empowerment of persons with disabilities is not a onetime activity. Since disability is a State subject under the Constitution, it is also expected that overtime the States will also contribute substantially to the implementation of programmes for the period of benefit of persons with disabilities, thereby, contributing to the implementation of the provisions of the Bill. However, the expenditure, whether recurring or non-recurring will be met out of the Consolidated Fund of India or Consolidated Fund of the concerned State.



## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 112 of the Bill empowers the Central Government to amend the Schedule by notification in the official Gazette.

2. The notification issued under sub-clause (2) of clause 112 is required to be laid before each House of the Parliament.

3. Clause 113 of the Bill empowers the Central Government to make rules to carry out the provisions of the proposed legislation, subject to the condition of previous publication. Sub-clause (2) of this clause enumerates the matter with respect to which rules may be made under this clause. These matters, *inter alia*, relate to—(a) the manner of constituting the ethics committee under sub-clause (2) of clause 5; (b) the manner of notifying the equal opportunity policy under sub-clause (1) of clause 20; (c) the form and manner of maintaining records by every establishment under sub-clause (1) of clause 21; (d) the manner of maintenance of register of complaints by Grievance Redressal Officer under sub-clause (3) of clause 22; (e) the manner of furnishing information and return by establishment to the Special Employment Exchange under clause 35; (f) the composition of the Assessment Board under sub-clause (2) and manner of assessment to be made by the Assessment Board under sub-clause (3) of clause 37; (g) the manner of application for issuance of certificate of disability under sub-clause (1) and the form of certificate of disability under sub-clause (2) of clause 57; (h) the allowances to be paid to the nominated Members of Central Advisory Board under sub-clause (6) of clause 60; (i) the rules of procedure for transaction of business in the meetings of the Central Advisory Board under clause 63; (j) the salaries and allowances and other conditions of services of Chairperson and Members of the National Commission under clause 78; (k) the salaries and allowances and conditions of services of officers and staff of the National Commission under sub-clause (3) of clause 81; (l) the form, manner and content of annual report to be prepared and submitted by the National Commission under sub-clause (3) of clause 85; (m) the procedure, manner of utilisation and management of the Fund under sub-clause (2) of clause 100; and (n) the form for preparation of accounts of Fund under sub-clause (1) of clause 101.

4. Sub-clause (3) of clause 113 provides that every rule made by the Central Government under the proposed legislation is required to be laid before each House of the Parliament.

5. Clause 114 of the Bill empowers the State Government to make rules to carry out the provisions of the proposed legislation, subject to the condition of previous publication. Sub-clause (2) of this clause enumerates the matters with respect to which rules may be made under this clause. These matters *inter alia*, relate to – (a) the manner of constituting the ethics committee under sub-clause (2) of clause 5; (b) the form and manner of making an application for certificate of registration under sub-clause (1) of clause 50; (c) the facilities to be provided and standards to be met by institution for grant of certificate of registration under sub-clause (3) of clause 50; (d) the validity of certificate of registration, the form of and conditions attached to certificate of registration under sub-clause (4) of clause 50; (e) the period of disposal of application for certificate of registration under sub-clause (7) of clause 50; (f) the period within which an appeal to be made under sub-clause (1) of clause 52; (g) the time and manner of appealing against the order of certifying authority under sub-clause (1) and manner of disposal of such appeal under sub-clause (2) of clause 58; (h) the allowances to be paid to the nominated Members of the State Advisory Board under sub-clause (6) of clause 66; (i) the rules of procedure for transaction of business in the meetings of the State Advisory Board under clause 69; (j) the composition, and functions of district level committee under clause 71; (k) salaries, allowances and other conditions of services of Chairpersons and Members of the State Commission under clause 91; (l) the salaries, allowances and conditions of services of officers and the staff of the State Commission under sub-clause (3)

of clause 94; (m) the form, manner and content of annual and special reports to be prepared and submitted by the State Commission under sub-clause (3) of clause 96; and (n) the fee or remuneration to be paid to the special public prosecutor under sub-clause (2) of clause 99.

6. Sub-clause (3) of clause 114 provides that every rule made by the State Government under the proposed legislation is required to be laid before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such legislature consist of one House, before that House.

7. Clause 115 of the Bill empowers the National Commission to make regulations, by notification, consistent with the provisions of proposed legislation and rules made thereunder to carry out the provisions of the proposed legislation. Sub-clause (2) of this clause enumerates the matters with respect to which regulations may be made under this clause. These matters, *inter alia*, relate to - (a) standards for accessibility under clause 39; and (b) the rules of procedure for transaction of business under clause 80.

8. Sub-clause (3) of clause 115 provides that every regulation made by the National Commission under the proposed legislation is required to be laid before each House of the Parliament.

9. Clause 116 of the Bill empowers the State Commission to make regulations, by notification, consistent with the provisions of proposed legislation and rules made thereunder to carry out the provisions of the proposed legislation.

10. Sub-clause (3) of clause 116 provides that every regulation made by the State Commission under the proposed legislation is required to be laid before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such legislature consist of one House, before that House.

11. The matters in respect of which rules, regulations and notifications may be made under the aforesaid provisions are matters of procedure and administrative details and it is not practical to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative power is, therefore, of a normal character.

RAJYA SABHA

---

A  
BILL

to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities  
and for matters connected therewith or incidental thereto.

---

*(Shri Mallikarjun Kharge, Minister of Social Justice and Empowerment)*

[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

**2014 का विधेयक संख्यांक 1**

# निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014

खंडों का क्रम

खंड

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

## अध्याय 2

### अधिकार और हकदारियां

3. समता और अविभेद।
4. सामुदायिक जीवन।
5. क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा।
6. दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।
7. संरक्षण और सुरक्षा।
8. गृह और कुटुंब।
9. प्रजनन अधिकार।
10. मतदान में पहुंच।
11. न्याय तक पहुंच।
12. विधिक हैसियत।
13. संरक्षकता के लिए उपबंध।
14. समर्थन के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान।

## अध्याय 3

### शिक्षा

15. शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य।
16. सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर करने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।
17. प्रौढ़ शिक्षा।

## अध्याय 4

### कौशल विकास और नियोजन

18. व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन।
19. नियोजन में विभेद न करना।

(ii)

**खंड**

20. समान अवसर नीति।
21. अभिलेखों का अनुक्षण।
22. शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

**अध्याय 5**

**सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद**

23. सामाजिक सुरक्षा।
24. स्वास्थ्य देख-रेख।
25. बीमा स्कीमें।
26. पुनर्वास।
27. अनुसंधान और विकास।
28. संस्कृति और आमोद-प्रमोद।
29. खेलकूद गतिविधियां।

**अध्याय 6**

**संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध**

30. संदर्भित निःशक्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा।
31. उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण।
32. आरक्षण के लिए पदों की पहचान।
33. आरक्षण।
34. प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन।
35. विशेष रोजगार कार्यालय।
36. विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम।

**अध्याय 7**

**अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध**

37. अधिक सहारे वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध।

**अध्याय 8**

**समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व**

38. जागरुकता अभियान।
39. पहुंच।
40. परिवहन तक पहुंच।
41. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

(iii)

खंड

42. उपभोक्ता माल।
43. पहुंच के सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन।
44. विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्यवाही।
45. सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा।
46. मानव संसाधन विकास।
47. सामाजिक लेखापरीक्षा।

#### अध्याय 9

### निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

48. सक्षम प्राधिकारी।
49. रजिस्ट्रीकरण।
50. आवेदन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी।
51. रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।
52. अपील।
53. अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होना।
54. रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता।

#### अध्याय 10

### विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं का प्रमाणन

55. विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।
56. प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान।
57. प्रमाणन की प्रक्रिया।
58. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

#### अध्याय 11

### निःशक्तता पर केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

59. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन।
60. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।
61. निरर्हता।
62. सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।
63. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें।
64. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

**खंड**

65. निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड।
66. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।
67. निरर्हता।
68. स्थानों का रिक्त होना।
69. राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।
70. राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।
71. निःशक्तता पर जिला स्तर समिति।
72. रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

**अध्याय 12**

**निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग**

73. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।
74. अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति।
75. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।
76. अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।
77. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और कृत्यों का निर्वहन करना।
78. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।
79. रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।
80. राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रक्रिया।
81. राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।
82. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण।
83. राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।
84. राष्ट्रीय आयोग को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होना।
85. राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।

**अध्याय 13**

**निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग**

86. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग का गठन।
87. अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति।
88. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।
89. अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।
90. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।



**खंड**

91. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।
92. रिक्तियों आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।
93. राज्य आयोग की प्रक्रिया।
94. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।
95. राज्य आयोग के विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण।
96. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।
97. संक्रमणकालीन उपबंध।

**अध्याय 14**

**विशेष न्यायालय**

98. विशेष न्यायालय।
99. विशेष लोक अभियोजक।

**अध्याय 15**

**निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि**

100. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि।
101. लेखा और लेखापरीक्षा।

**अध्याय 16**

**अपराध और शास्तियां**

102. अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।
103. कंपनियों द्वारा अपराध।
104. संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड।
105. अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड।
106. जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड।
107. समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन।
108. अनुकल्पी दंड।

**अध्याय 17**

**प्रकीर्ण**

109. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।
110. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
111. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।
112. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

**खंड**

113. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
114. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
115. राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।
116. राज्य आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां।
117. निरसन और व्यावृत्ति।

अनुसूची।

2014 का विधेयक संख्यांक 1

[दि राइट आफ पर्सन्स विद डिसबिलिटिज बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

## निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र  
अभिसमय और उससे संबंधित या उसके  
आनुषंगिक विषयों को प्रभावी  
बनाने के लिए  
विधेयक

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसंबर, 2006 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय, निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित करता है :—

(क) अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है;

(ख) अविभेद;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना;

(घ) मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में निःशक्त व्यक्तियों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण;

(ङ) अवसर की समानता;

(च) पहुंच;

(छ) पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता;

(ज) निःशक्त बालकों की क्षमता प्रस्तुत करने के लिए आदर और निःशक्त बालकों की पहचान परिरक्षित करने के लिए उनके अधिकार के लिए आदर;

और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और भारत ने, 1 अक्टूबर, 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है;

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार  
और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2014 5 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— 10

(क) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित या धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) “समुचित सरकार” से,—

(i) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन या छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार; 15

(ii) कोई राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन, या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में, राज्य सरकार; 20

अभिप्रेत है।

(ग) “रोध” से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृतिक, पर्यावरणात्मक, संस्थात्मक, राजनैतिक, सामाजिक या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित हैं जो समाज में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं; 25

(घ) “देख-रेख कर्ता” से माता-पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा

व्यक्ति अभिप्रेत है जो संदाय सहित या उसके बिना, किसी निःशक्त व्यक्ति को देख-रेख, सहारा या सहायता देता है;

(ड) “प्रमाणकर्ता प्राधिकारी” से धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

5 (च) “संसूचना” में संसूचना के उपाय और रूप विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, सरल भाषा, ह्यूमन-रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं;

10 (छ) “सक्षम प्राधिकारी” से धारा 48 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

2013 का 18 (ज) “स्थापन” से केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायताप्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और जिसमें किसी सरकार का विभाग भी सम्मिलित है;

(झ) “निधि” से धारा 100 के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि अभिप्रेत है;

20 (ञ) “उच्च सहायता” से शारीरिक, मानसिक और अन्यथा ऐसी गहन सहायता अभिप्रेत है जो संदर्भित निःशक्त व्यक्ति द्वारा शिक्षा, नियोजन, कुटुम्ब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार को सम्मिलित करते हुए, दैनिक क्रियाकलाप, पहुंच सुविधाएं तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए अपेक्षित हो सकेगी;

25 (ट) “सम्मिलित शिक्षा” से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें निःशक्त और निःशक्तता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और ऐसे शिक्षण और विद्या की पद्धति जो विभिन्न प्रकार के निःशक्त छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से उपयुक्त की गई है;

(ठ) “संस्था” से निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रवेश, देख-रेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्व्यवस्थापन और किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए कोई संस्था अभिप्रेत है;

2006 का 41 (ड) “स्थानीय प्राधिकरण” से संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ड) और खंड (च) में यथापरिभाषित नगरपालिका या पंचायत, छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित छावनी बोर्ड और संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन नागरिक क्रियाकलापों का प्रशासन करने के लिए कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ढ) “राष्ट्रीय आयोग” से धारा 73 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अभिप्रेत है;

35 (ण) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” या “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

40 (त) “संदर्भित निःशक्त व्यक्ति” से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट निःशक्तता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट निःशक्तता अध्यायायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा निःशक्त व्यक्ति भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट निःशक्तता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्यायायी निबंधनों में परिभाषित की गई है;

(थ) “निःशक्त व्यक्ति” से ऐसी दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है;

(द) “उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला निःशक्त व्यक्ति” से धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित निःशक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है; 5

(ध) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(न) “युक्तियुक्त आवासन” से निःशक्त व्यक्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों के उपभोग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट दशा में, अननुपात या असम्यक् बोझ अधिरोपित किए बिना, आवश्यक और समुचित उपांतरण तथा समायोजन अभिप्रेत हैं; 10

(प) “रजिस्ट्रीकृत संगठन” से संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत निःशक्त व्यक्तियों का कोई संगम या निःशक्त व्यक्ति संगठन, निःशक्त व्यक्तियों के माता-पिता का संगम, निःशक्त व्यक्तियों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या स्वैच्छिक या गैर सरकारी या पूर्ण संगठन या न्यास, सोसाइटी या निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अलाभकारी कंपनी अभिप्रेत है; 15

(फ) “पुनर्वास” से निःशक्त व्यक्तियों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनश्चिकित्सीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट है; 20

(ब) “विशेष रोजगार कार्यालय” से—

(i) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो निःशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे संदर्भित निःशक्त व्यक्ति के संबंध में जो नियोजन चाहते हैं; 25

(iii) ऐसी शक्तियों के संबंध में जिन पर संदर्भित निःशक्त व्यक्ति, नियोजन चाहते हैं, नियुक्त किए जा सकेंगे;

रजिस्टर रखते हुए या अन्यथा सूचना एकत्रित करने या उसको प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है;

(भ) “विनिर्दिष्ट निःशक्तता” से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निःशक्तताएं अभिप्रेत हैं; 30

(म) “राज्य आयोग” से इस अधिनियम की धारा 86 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(य) “सर्वव्यापी डिजाइन” से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत हैं और जो निःशक्त व्यक्तियों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होंगी। 35

## अध्याय 2

## अधिकार और हकदारियां

3. (1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्तताओं वाले व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे। समता और अविभेद।

(2) समुचित सरकार, निःशक्त स्त्रियों और बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विशेष उपाय करेगी और समुचित वातावरण प्रदान करके निःशक्त व्यक्ति की क्षमता का उपयोग करने के लिए भी उपाय करेगी।

(3) किसी निःशक्त व्यक्ति के साथ निःशक्तता के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुचित है।

(4) कोई व्यक्ति केवल निःशक्तता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

4. (1) निःशक्त व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा। सामुदायिक जीवन।

(2) समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि निःशक्त व्यक्ति को,—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक् ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए व्यक्तिगत आवश्यक सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई है।

5. (1) समुचित सरकार, निःशक्त व्यक्ति को प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय या निम्निकृत व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी। क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा।

(2) कोई निःशक्त व्यक्ति,—

(i) संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, उपायों और रूपविधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से गठित ऐसी सदाचार समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उसमें से या तो निःशक्त व्यक्ति या धारा 2 के खंड (यक) से अधीन यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे के बिना

किसी अनुसंधान के अधीन नहीं होगा।

6. (1) समुचित सरकार, निःशक्त व्यक्तियों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह,— दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार प्रदान कराएगी;

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।



(2) ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संस्था, जो यह विश्वास करने का कारण रखती है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में सूचना दे सकेगी।

5

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे निःशक्त व्यक्ति के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, और इसके अंतर्गत—

(क) यथास्थिति, पुलिस या निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास, या दोनों का, उपबंध करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने;

10

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछ करे तो निःशक्त व्यक्ति के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने;

(ग) ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को भरणपोषण उपलब्ध कराने,

संबंधी कोई आदेश भी हैं।

15

(4) कोई पुलिस अधिकारी, निःशक्त व्यक्ति के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की सूचना देगा,—

(क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की;

20

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की;

(ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की; और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत करने के अधिकार की :

25

परंतु इस धारा की किसी बात का किसी भी रीति में अर्थ पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

(5) यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को, यथास्थिति, उस विषय में अधिकारिता रखने वाले न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रसर करेगा।

30

1860 का 45

संरक्षण और सुरक्षा।

7. (1) निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय अपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

35

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ड) के अधीन परिभाषित हैं, में निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निःशक्त व्यक्तियों को शामिल करने का सुनिश्चय करेंगे।

2005 का 53

(3) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में निःशक्त व्यक्तियों के व्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे

40

2005 का 53

व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

(4) जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात् पुनःनिर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण ऐसे कार्यकलापों को निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयोग के परामर्श से हाथ में लेंगे।

8. (1) किसी बालक को सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से निःशक्तता के आधार पर पृथक् नहीं किया जाएगा। गृह और कुटुंब।

(2) जहां अभिभावक निःशक्त बालक की देखभाल करने में असमर्थ हैं तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश में, समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, यथास्थिति, समुचित सरकार या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा।

9. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चय करेगी कि निःशक्त व्यक्ति की, प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में उचित सूचना तक पहुंच हो। प्रजनन अधिकार।

(2) किसी निःशक्त व्यक्ति को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना अनुर्वरता होती है।

10. भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच में हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में होगी। मतदान में पहुंच।

11. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्तता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियां रखने वाले निकाय तक निःशक्त व्यक्ति अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य होंगे। न्याय तक पहुंच।

(2) समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते हैं और ऐसे निःशक्त जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहारे की अपेक्षा है, समुचित समर्थकारी उपायों को ऐसे स्थानों पर करने के लिए कदम उठाएगी।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि निःशक्त व्यक्ति किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या अन्य के साथ उन्हें प्रस्थापित सेवा तक पहुंच हों, युक्तियुक्त आवासन सहित उपबंध करेंगे।

(4) समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी—

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उनके लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या अभिलेखों के किसी अन्य कार्यालय में, सुगम रूप विधान में, दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, एकत्र करना और दस्तावेजों तथा साक्ष्य को संदर्भित करना; और

(ग) निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के साधनों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराना।

विधिक हैसियत।

12. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से स्वयं की या विश्वसनी संपत्ति, स्थावर या जंगम, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय जमा के अन्य प्ररूपों तक पहुंच रखेंगे।

(2) जब समर्थन प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी निःशक्त व्यक्ति के मध्य विशिष्टतया वित्तीय, सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसा समर्थन प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में निःशक्त व्यक्ति को समर्थन प्रदान करने से प्रविरत रहेगा :

परंतु हितों के विरोध की कोई अवधारणा इस आधार पर नहीं होगी कि समर्थन देने वाला व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से संबंधित है।

(3) कोई निःशक्त व्यक्ति किसी समर्थन व्यवस्था को परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे का समर्थन प्राप्त कर सकेगा :

परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्त करना भविष्यलक्षी प्रकृति का होगा और उपर्युक्त समर्थन व्यवस्था के साथ निःशक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कोई अन्य पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे।

(4) निःशक्त व्यक्ति को समर्थन प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, मर्यादा और निजता का सम्मान करेगा।

संरक्षकता के लिए  
उपबंध।

13. (1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई जिला न्यायालय यह निकर्ष अभिलिखित करता है कि कोई मानसिक रुग्ण व्यक्ति स्वयं अपनी देख-रेख करने में या अपने स्वयं पर कोई विधिक रूप से आबद्धकर निर्णय लेने में अक्षम है तो वह ऐसे मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति की देख-रेख करने के लिए सीमित संरक्षक की नियुक्ति के लिए आदेश करेगा और ऐसे व्यक्ति के परामर्श से उसकी ओर से सभी विधिक आबद्धकर विनिश्चय करेगा :

परंतु जिला न्यायालय असाधारण स्थितियों के अधीन जहां सीमित संरक्षकता नहीं दी जा सकती है मानसिक रुग्ण व्यक्ति को पूर्ण संरक्षकता प्रदान कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “पूर्ण संरक्षकता” से कोई संरक्षकता अभिप्रेत है जिसके द्वारा असमर्थता पाने के पश्चात् विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में निःशक्त व्यक्ति के लिए कोई संरक्षक प्रतिस्थापित होता है और उसके लिए सभी विधिक रूप से बाध्यकारी विनिश्चय लेता है तथा निःशक्त व्यक्ति के विनिश्चय संरक्षकता के अस्तित्व के दौरान विधि में बाध्यकारी नहीं होंगे और संरक्षक, उसके लिए विनिश्चयों को करते समय निःशक्त व्यक्ति से परामर्श करने या उसकी इच्छा या अधिमानता का निर्धारण करने के लिए किसी विधिक बाध्यता के अधीन नहीं है।

(ii) “सीमित संरक्षकता” से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और निःशक्त व्यक्ति के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचालित है।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, मानसिक रुग्ण व्यक्ति के लिए किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक, सीमित संरक्षक के रूप में कृत्य करता हुआ समझा जाएगा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व जहां किसी संरक्षक को नियुक्त किया गया है वहां वह सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, संबद्ध जिला न्यायालय इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर संबद्ध मानसिक रुग्ण व्यक्ति के सभी संबंधित अभिलेखों को नए सिरे से विचार में लेते हुए, पूर्ण संरक्षकता प्रदान कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “जिला न्यायालय” से किसी क्षेत्र में जिसके लिए वहां कोई नगर सिविल न्यायालय उक्त न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई अन्य न्यायालय है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों में सभी या किसी के निपटान के लिए सक्षम न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

14. (1) समुचित सरकार समुदाय को गतिशील करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी और उनकी विधिक हैसियत के प्रयोग में निःशक्त व्यक्तियों के समर्थन हेतु सामाजिक जागरूकता सृजित करेगी।

समर्थन के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले निःशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिक हैसियत के प्रयोग के लिए उपयुक्त समर्थनकारी व्यवस्थाएं स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और जिन्हें अधिक सहारे की आवश्यकता है और कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो, कर सकेगा।

### अध्याय 3

#### शिक्षा

20 15. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित शिक्षण संस्थाएं निःशक्त बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी,—

शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य।

(i) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना;

25 (ii) भवन, परिसर बनाना और पहुंच वाली विभिन्न सुविधाएं;

(iii) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना;

(iv) पर्यावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के साथ सुसंगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, में व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यक समर्थन प्रदान करना;

30 (v) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति को जो अंधा या बधिर या दोनों हैं संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना;

(vi) यथाशीघ्र बालकों में विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं की विद्या का पता लगाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;

35 (vii) प्रत्येक निःशक्त छात्र के संबंध में उसकी भागीदारी, लाभ प्राप्ति स्तरों के निबंधनों में उसकी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मानीटर करना;

(viii) निःशक्तताओं वाले बालकों और अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना।

16. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 15 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात् :—

सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर करने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।

40 (क) निःशक्त बालकों की पहचान करने के लिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं

को सुनिश्चित करने और जिन्हें वह पूरा कर सकेंगे उसके विस्तार तक स्कूल जाने वाले बालकों के लिए सर्वेक्षण संचालित करना;

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(ग) शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करना जिसके अंतर्गत निःशक्त अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और जो बौद्धिक रूप में निःशक्त बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं; 5

(घ) सम्मिलित शिक्षा के समर्थन के लिए वृत्तियों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना;

(ङ) शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना; 10

(च) वाक संप्रेषण या भाषा निःशक्तता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी स्वयं की वाणी में अनुपूरक उपयोग के लिए संप्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना;

(छ) संदर्भित निःशक्त छात्रों को पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और उचित सहायक युक्तियां अठारह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और उसके पश्चात् या तो निःशुल्क या वहन योग्य लागत पर उपलब्ध कराना; 15

(ज) संदर्भित निःशक्त छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) निःशक्तताओं वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपयुक्त जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या सचिव की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट के लिए उपांतरित करना; 20

(ञ) विद्या सुधारने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(ट) कोई अन्य उपाय जो विहित किए जाएं।

प्रौढ़ शिक्षा।

17. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को संवर्धित करने के लिए और उनमें अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे। 25

#### अध्याय 4

### कौशल विकास और नियोजन

व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन।

18. समुचित सरकार, जिसके अंतर्गत उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वतः नियोजन के लिए विशेषतया निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर ऋण और समर्थनकारी नियोजन सहित स्कीमों और कार्यक्रमों को विरचित करेगी। 30

नियोजन में विभेद न करना।

19. (1) कोई भी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा ;

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी। 35

(2) प्रत्येक स्थापन निःशक्त कर्मचारियों को समुचित वातावरण उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल निःशक्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई स्थापन किसी कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान कोई निःशक्तता प्राप्त करता है उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा :

5 परंतु यदि कोई कर्मचारी निःशक्तता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है, उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा :

10 परंतु यह और कि यदि निःशक्तता अर्जित करने के पश्चात् कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना उपयुक्त नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या तो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा।

20. (1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति के उपायों के ब्यौरे, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अधिसूचित करेगा।

समान अवसर नीति।

15 (2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग में उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।

20 21. (1) प्रत्येक स्थापन उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

अभिलेखों का अनुसूचना।

(2) प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले निःशक्त व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।

25 (3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

22. (1) प्रत्येक स्थापन धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

30 (2) धारा 19 के उपबंधों के अननुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, और प्रत्येक शिकायत की इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।

35 (4) यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह निःशक्तता पर जिला स्तर समिति के पास जा सकेगा।

## अध्याय 5

### सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

40 23. (1) समुचित सरकार उसकी आर्थिक हैसियत की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थकारी बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर हेतु निःशक्त

सामाजिक सुरक्षा।

व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमों को विरचित करेंगे और कार्यक्रम का विकास करेंगे :

परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।

5

(2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय निःशक्तता, की विविधता लिंग, आयु और सामाजिक — आर्थिक प्रास्थिति पर सम्यक विचार करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्कीम निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी,—

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-रेख और परामर्श के निबंधनों में अच्छी जीवन शर्तों के साथ सामुदायिक केन्द्र;

10

(ख) व्यक्ति, जिसके अंतर्गत निःशक्त बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रय या जीवन निर्वाह के बिना हैं, के लिए सुविधाएं;

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा और संघर्ष के क्षेत्र में उसके दौरान सहायता;

15

(घ) निःशक्त महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;

(ङ) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच;

(च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता और साधित्र, ओषधियां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारत्मक शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराना;

20

(छ) ऐसी आय की सीमा जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए निःशक्त व्यक्तियों को निःशक्तता पेंशन;

(ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था;

25

(झ) उच्च समर्थकारी आवश्यकताओं के साथ निःशक्त व्यक्तियों के लिए देख-रेख प्रदाता का भत्ता;

(ञ) ऐसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या कोई अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं;

30

(ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।

स्वास्थ्य देख-रेख।

24. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी,—

35

(क) ऐसी कुटुंब आय जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया आस-पास में निःशुल्क स्वास्थ्य देख-रेख;

(ख) उनके द्वारा चलाए जा रहे या सहायता प्राप्त अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं तथा केन्द्रों के सभी भागों में बाधारहित पहुंच;

(ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विक्ता।

40



(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-रेख की अभिवृद्धि और निःशक्तता की घटनाओं को रोकने के लिए और उक्त प्रयोजनों के लिए उपाय करेंगे और स्कीम और कार्यक्रम बनाएंगे और निम्नलिखित करेंगे,—

5 (क) निःशक्तता की घटनाओं के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना;

(ख) निःशक्तता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना;

(ग) “जोखिम के” मामलों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच करना;

10 (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ङ) प्रायोजित जागरुकता अभियान और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना या प्रायोजित करना या कराना;

15 (च) माता और बालक की प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात् देख-रेख के लिए उपाय करना;

(छ) पूर्वस्कूल, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना;

20 (ज) निःशक्तता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियो और अन्य जन संचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरुकता उत्पन्न करना;

(झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय के दौरान स्वास्थ्य देख-रेख;

(ञ) जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं; और

25 (ट) विशेषतया निःशक्त स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख-रेख।

25. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीमें बीमा स्कीमें बनाएगी।

30 26. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास। विशिष्टतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में उनकी आर्थिक हैसियत और विकास के भीतर सेवाओं और पुनर्वास के कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेंगे या जिम्मेवारी दिलाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अधिसूचना द्वारा प्रदान कर सकेंगे।

35 (3) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी पुनर्वास स्कीम पुनर्वास नीतियों की विरचना के समय निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे।

27. समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यष्टियों या संस्थाओं के माध्यम से जिनसे आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी। अनुसंधान और विकास।

संस्कृति और आमोद-  
प्रमोद।

28. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और अन्य व्यक्तियों के साथ समान आमोद-प्रमोद गतिविधियों में भागीदारी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, के उपाय करेंगे,—

(क) निःशक्त कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा के अनुसार सुविधा, सहायता और प्रायोजन;

5

(ख) निःशक्तता एतिहासिक संग्रहालय की स्थापना जो निःशक्त व्यक्तियों के एतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और निर्वचन करते हैं;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों तक कला को सुगम बनाना;

(घ) आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना;

10

(ङ) बालचर, नृत्य, कला कक्षाएं, बाहरी कैम्प और रोमांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनःविन्यास करना;

(छ) आमोद-प्रमोद गतिविधियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच और उनको सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी विकास, सहायक युक्तियां और साधनों का विकास करना।

15

खेलकूद गतिविधियां।

29. (1) समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सम्यक् मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक् उपबंध करेंगे।

20

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे,—

25

(क) सभी खेलकूद गतिविधियों में निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच, समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुनर्संरचना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पुनःविन्यास और समर्थन;

30

(ग) सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए संभावित, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास;

(घ) सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदी आवश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना;

35

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कला, खेलकूद सुविधाओं हेतु राज्य के विकास के लिए निधियों का आबंटन करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्तता विनिर्दिष्ट खेलकूद घटनाओं को संवर्धित करना और आयोजित करना।

## अध्याय 6

## संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

2009 का 35

30. (1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छह वर्ष से अठारह वर्ष तक का संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक का निकटवर्ती विद्यालय या किसी विशेष विद्यालय में यदि आवश्यक हो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

संदर्भित निःशक्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो।

10 31. (1) सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य शिक्षा संस्थान संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगे।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।

15 32. समुचित सरकार,—

आरक्षण के लिए पदों की पहचान।

(i) संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थापनों में पदों की पहचान करेगी;

(ii) पांच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर प्रौद्योगिकी में विकास पर विचार करते हुए पहचान किए गए पदों की सूची का पुनर्विलोकन और अद्यतन करेगी।

20 33. (1) प्रत्येक समुचित सरकार, अपने अधीन प्रत्येक स्थापनों में भरी जाने वाली रिक्तियां संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों या वर्ग के लिए आरक्षित रखेगी जिसमें से एक प्रतिशत निम्नलिखित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी—

आरक्षण।

(क) अंध और निम्न दृष्टि;

(ख) श्रवणशक्ति में ह्रास और वाकशक्ति में ह्रास;

25 (ग) चलन निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ और पेशीय दुष्पोषण भी है;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ङ) खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए पहचान किए गए पदों में बधिर, अंधता भी है :

30 परंतु समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी विभाग या स्थापन में कार्य करने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, के अधीन रहते हुए इस धारा के उपबंधों से स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

35 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की गणना कुल काडर पद संख्या के पांच प्रतिशत पर प्रगणित होगी।

(2) जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रणीत होगी और यदि पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो यह पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा पहले

हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में पद के लिए निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है नियोक्ता किसी निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्ति द्वारा भर सकेगा:

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि व्यक्तियों के दिए गए प्रवर्गों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला-बदली की जा सकेगी।

5

(3) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए पांच वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को शिथिल करने का उपबंध करेगी।

प्राइवेट सेक्टर में  
नियोजकों को  
प्रोत्साहन।

**34.** समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपने कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत संदर्भित निःशक्त व्यक्ति हैं, प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

10

विशेष रोजगार  
कार्यालय।

**35.** समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, प्रत्येक स्थापन में नियोजक संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए नियत ऐसी रिक्तियों के संबंध में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए जो उस स्थापन में हुई है या होने वाली है, ऐसा विशेष रोजगार कार्यालय को जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी जानकारी या विवरणी भेजेगी और स्थापन उस पर ऐसी अध्यक्षता का पालन करेगा।

15

विशेष स्कीमें और  
विकास कार्यक्रम।

**36.** समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संदर्भित निःशक्त व्यक्ति के पक्ष में स्कीमें अधिसूचना द्वारा यह उपबंध करने के लिए बनाएंगे—

(क) संदर्भित निःशक्त स्त्रियों की समुचित पूर्विक्ता के साथ सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवासन के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण;

20

(ख) संदर्भित निःशक्त स्त्रियों की पूर्विक्ता के साथ सभी निर्धनता उपशमन और विभिन्न विकासशील स्कीमों में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ग) रियायती दर पर भूमि के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण जहां ऐसी भूमि का उपयोग, आवासन, आश्रय, उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केंद्रों के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

25

## अध्याय 7

### अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

अधिक सहारे वाले  
निःशक्त व्यक्तियों के  
लिए विशेष उपबंध।

**37. (1)** संदर्भित निःशक्त कोई व्यक्ति जो स्वयं अधिक सहारे की आवश्यकता समझता है या उसके निमित्त कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहारा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

30

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

35

(3) निर्धारण बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले का ऐसी रीति में निर्धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहारे की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित्त समुचित सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहारा प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

## अध्याय 8

### 5 समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

38. (1) समुचित सरकार, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग से परामर्श जागरूकता अभियान। करके इस अधिनियम के अधीन निःशक्त व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्राह्यता का संचालन, प्रोत्साहन, सहारा या संवर्धन करेगी।
- 10 (2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यक्रम और अभियान निम्नलिखित भी करेंगे—
- (क) सहनशीलता, सहानुभूति के समावेशन के मूल्यों का संवर्धन और विविधता के लिए आदर;
- (ख) निःशक्त व्यक्तियों के कौशल, गुणों और योग्यताओं की अग्रिम पहचान और कार्यबल, श्रम बाजार में उनका योगदान और वृत्तिक फीस;
- 15 (ग) पारिवारिक जीवन, नातेदारियों, बालकों के वहन और पालन-पोषण से संबंधित सभी विषयों पर निःशक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए विनिश्चयों के लिए आदर का पोषण;
- (घ) निःशक्तता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और वृत्तिक प्रशिक्षण स्तर पर पूर्वाभिमुखीकरण करना और सुग्राही बनाना तथा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार ;
- 20 (ङ) निःशक्तता की दशाओं पर पूर्वाभिमुखीकरण और सुग्राह्यता और नियोजकों, प्रशासकों और सहकर्मियों के प्रति निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार प्रदान करना;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार सम्मिलित हैं।
- 25 39. राष्ट्रीय आयोग, समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाएं और सेवाओं सहित भौतिक पर्यावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के मानकों को अधिकथित करते हुए निःशक्त व्यक्तियों के लिए विनियमों को विरचित करेगी। पहुंच।
- 30 40. (1) समुचित सरकार, यह उपबंध करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी— परिवहन तक पहुंच।
- (क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना जो पार्किंग स्थलों, प्रसाधनों, टिकट पटलों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच के मानकों को पूरा करते हों;
- (ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च फिटिंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों, जब कभी वे निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हों, आर्थिक रूप में व्यवहार्य हों और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हों;
- 35 (ग) निःशक्त व्यक्तियों की गतिशील आवश्यकताओं के समाधान के लिए पहुंच योग्य सड़कें।

(2) समुचित सरकार निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए निर्वाह योग्य लागत पर निःशक्त व्यक्तियों की वैयक्तिक गतिशीलता के संवर्धन के लिए स्कीमों, कार्यक्रमों को विकसित करेगी—

(क) प्रोत्साहन और रियायतें;

(ख) वाहनों की पश्च फिटिंग; और

(ग) वैयक्तिक गतिशील सहायता।

5

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

41. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि—

(i) श्रवण, प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी अंतर्वस्तु पहुंच योग्य फॉर्मेट में हैं;

(ii) श्रवण वर्णन, हस्ताक्षर भाषा, निर्वचन और निकट शीर्षक प्रदान करके निःशक्त व्यक्ति की इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच;

10

(iii) इलैक्ट्रॉनिक माल और उपस्कर जो प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के साधन हैं।

उपभोक्ता माल।

42. समुचित सरकार सर्वव्यापी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों के विकास, उत्पादन और वितरण और निःशक्त व्यक्तियों के साधारण उपयोग के लिए उपसाधनों के संवर्धन हेतु उपाय करेगी।

15

पहुंच के सनियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन।

43. (1) किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना, धारा 39 के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरचित विनियमों से संसक्त नहीं है।

(2) किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक यह राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरचित विनियमों से संसक्त नहीं रहता है।

20

विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्यवाही।

44. (1) ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएंगे :

25

परंतु केंद्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंध की संसक्तता के लिए मामला दर मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य संबंधित पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल/जिला अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों जैसी सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हुए, पहुंच प्रदान करने के लिए पूर्विक्ता पर आधारित कार्ययोजना विरचित और प्रकाशित करेंगे।

30

सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा।

45. राष्ट्रीय आयोग धारा 39 के अधीन विरचित पहुंच पर ऐसे विनियमों के अनुसार सेवा प्रदाता ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पहुंच पर सेवाएं प्रदान करेंगे :

35

परंतु केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करके उक्त विनियमों के अनुसार सेवाओं का कतिपय प्रवर्ग प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

मानव संसाधन विकास।

46. (1) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् के किसी कृत्य और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित

1992 का 34

सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानव संसाधन का विकास करने के लिए प्रयास करेगी और अन्ततः निम्नलिखित करेगी—

5 (क) पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस पदधारियों, न्यायाधीशों, वकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों में निःशक्तता के अधिकारों पर आज्ञापक प्रशिक्षण;

10 (ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्धचिकित्सा कार्मिक, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य वृत्तिक और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए संघटक के रूप में निःशक्तता का प्रवेश;

(ग) स्वतंत्र जीवन में प्रशिक्षण और परिवारों के लिए सामुदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों और अन्य पण्यधारकों और देख-रेख और सहारा पर देख-रेख प्रदाता सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करना;

15 (घ) पारस्परिक योगदान और आदर पर समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) क्रीड़ा, खेलकूद, रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीड़ा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना;

(च) कोई अन्य क्षमता विकास के उपाय, जो आवश्यक हों।

20 (2) सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केंद्रों की स्थापना सहित निःशक्तता संबंधी अध्ययनों में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे।

(3) उपधारा (1) में कथित बाध्यता को पूरा करने के लिए, समुचित सरकार प्रत्येक पांच वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण का उपक्रम करेगी और भर्ती, प्रवेश, सुग्राह्यता पूर्वभिमुखीकरण और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं विरचित करेगी।

25 **47.** समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम और कार्यक्रम निःशक्त व्यक्तियों और संबद्ध निःशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता और अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, निःशक्त व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए सभी साधारण स्कीमों और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जिम्मेवारी लेगी।

सामाजिक लेखापरीक्षा।

### अध्याय 9

#### 30 निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

**48.** राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जो वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे।

सक्षम प्राधिकारी।

35 **49.** इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति निःशक्त व्यक्तियों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं :

रजिस्ट्रीकरण।

परंतु मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की देख-रेख के लिए कोई संस्था जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 8 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधिमन्य अनुज्ञप्ति धारित करती है, उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन और  
रजिस्ट्रीकरण  
प्रमाणपत्र की  
मंजूरी।

50. (1) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार पालन किया है, वह आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और यदि उसका समाधान नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा किए गए आवेदन प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार कर देगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा और प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित में ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, संसूचित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, को पूरा करने की स्थिति में न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—

(क) जब तक धारा 51 के अधीन प्रतिसंहत नहीं होता ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रवृत्त बना रहेगा;

(ख) वैसी ही अवधि के लिए समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा; और

(ग) ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के कम से कम साठ दिन पूर्व किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति, संस्था द्वारा सहजदृश्य स्थान पर दर्शित की जाएगी।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

रजिस्ट्रीकरण का  
प्रतिसंहरण।

51. (1) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका विश्वास करने का यह कारण है कि धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के धारक ने—

(क) प्रमाणपत्र के जारी करने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कथन किया है जो गलत है या तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; और

(ख) नियमों या किन्हीं ऐसी शर्तों को भंग किया है या भंग करवाया है जिनके अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था,

वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाणपत्र के धारक को इस बात का कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसंहत क्यों न कर दिया जाए।



(2) जहां किसी संस्था के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया गया है वहां ऐसी संस्था, ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख से कृत्य करना बन्द कर देगी :

परन्तु जहां प्रतिसंहरण आदेश के विरुद्ध धारा 52 के अधीन कोई अपील होती है, वहां ऐसी संस्था निम्नलिखित दशाओं में कृत्य करना बन्द कर देगी,—

(क) जहां ऐसी अपील फाइल करने के लिए विहित अवधि के अवसान के तुरन्त पश्चात् अपील नहीं की गई है; या

(ख) जहां ऐसी कोई अपील की गई है, किन्तु अपील के आदेश की तारीख से प्रतिसंहरण आदेश को मान्य ठहराया गया है।

(3) किसी संस्था की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण पर, सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि कोई निःशक्त व्यक्ति जो ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को, ऐसी संस्था में सहवासी है,—

(क) यथास्थिति, उसे उसके अभिभावक, पति या पत्नी या विधिक संरक्षक की अभिरक्षा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक संस्था, जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण करता है जिसका इस धारा के अधीन प्रतिसंहरण कर लिया गया है, ऐसे प्रतिसंहरण के तुरन्त पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगी।

52. (1) प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार करने या प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

53. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्थापित या अनुरक्षित किसी संस्था को लागू नहीं होगी।

अपील।  
अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होना।

54. समुचित सरकार उसकी आर्थिक हैसियत और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता।

## अध्याय 10

### विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं का प्रमाणन

55. केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट निःशक्तता की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करेगी।

विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

56. (1) समुचित सरकार अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेगी, जो निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान।

(2) समुचित सरकार उस अधिकारिता को और उन निबंधनों और शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने प्रमाणकारी कृत्यों का अनुपालन करेगा।

प्रमाणन की प्रक्रिया।

57. (1) कोई विनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निःशक्तता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा। 5

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, धारा 55 के अधीन अधिसूचित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की निःशक्तता का निर्धारण करेगा और, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण के पश्चात्—

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, निःशक्तता का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा; 10

(ख) उसे लिखित में सूचित करेगा कि उसको कोई विनिर्दिष्ट निःशक्तता नहीं है।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

58. (1) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा पदाभिहित ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। 15

(2) किसी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपील का ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विनिश्चय करेगा।

#### अध्याय 11

### निःशक्तता पर केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति 20

निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन।

59. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी।

(2) केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,— 25

(क) केन्द्रीय सरकार के निःशक्तता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री — पदेन अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय सरकार के निःशक्तता कार्य मंत्रालय में निःशक्तता कार्य विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्री—पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो का चयन लोक सभा द्वारा और एक का चयन राज्य सभा द्वारा किया जाएगा; 30

(घ) सभी राज्यों के निःशक्तता कार्य के प्रभारी मंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक/उपराज्यपाल—पदेन सदस्य;

(ङ) निःशक्तता कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक सचिव, भारत सरकार— 40 पदेन सदस्य;

- (च) सचिव, योजना आयोग—पदेन सदस्य;
- (छ) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता कल्याण न्यास—पदेन सदस्य;
- 5 (झ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम—पदेन सदस्य;
- (ञ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम—पदेन सदस्य;
- (ट) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—पदेन सदस्य;
- (ठ) महानिदेशक, नियोजन और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय—पदेन सदस्य;
- 10 (ड) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ढ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ण) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—पदेन सदस्य;
- (त) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्—पदेन सदस्य;
- 15 (थ) निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक—पदेन सदस्य होंगे,—
- (i) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून;
- (ii) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद;
- (iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली;
- (iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्थान, मुम्बई;
- 20 (v) राष्ट्रीय विकलांग असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थान, कोलकाता;
- (vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक;
- (vii) राष्ट्रीय बहु निःशक्त व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई;
- (viii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, बेंगलूर;
- (ix) इंडियन साइज लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली;
- 25 (द) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य,—
- (i) पांच व्यक्ति जो निःशक्तता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;
- (ii) निःशक्तता से संबंधित गैर सरकारी संगठनों या निःशक्त व्यक्ति संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो निःशक्त व्यक्ति हों :
- 30 परंतु नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;
- (iii) वाणिज्य और उद्योग के राष्ट्रीय स्तर के चैम्बरों में से तीन प्रतिनिधि तक;
- 35 (ध) निःशक्तता नीति के विषय से संबंधित भारत सरकार का संयुक्त सचिव-पदेन सदस्य-सचिव।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

**60.** (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद धारण नहीं कर लेता है।

5

(2) केन्द्रीय सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

10

(4) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

15

(5) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

निरहता।

**61.** (1) कोई व्यक्ति केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो,—

20

(क) दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

25

(ग) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वर्लित है, या

(घ) वह सिद्धदोष है या उसे इस अधिनियम के अधीन किसी समय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के प्रतिकूल ठहराता है।

30

(2) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने का तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान किया जाता है।

35

(3) धारा 60 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पद से हटाया गया कोई सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।

**62.** यदि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, धारा 61 में विनिर्दिष्ट निरहता के अधीन हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

40

63. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो विहित की जाए।

निःशक्तता पर  
केंद्रीय सलाहकार  
बोर्ड की बैठकें।

64. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड, निःशक्तता विषयों पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा और निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

निःशक्तता पर  
केंद्रीय सलाहकार  
बोर्ड के कृत्य।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को निःशक्तता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना;

(ग) सरकारी और अन्य गैर सरकारी संगठन, जो निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, के कार्यकलापों का पुनरीक्षण और समन्वयन करना;

(घ) राष्ट्रीय योजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निःशक्त व्यक्तियों के मामलों को लेना;

(ङ) सूचना, सेवाओं के मुकाबले निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच, युक्तियुक्त वास और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके लिए वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाए।

65. (1) प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी।

निःशक्तता पर राज्य  
सलाहकार बोर्ड।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य सरकार के निःशक्तता मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री—अध्यक्ष पदेन;

(ख) राज्य सरकार के निःशक्तता मामलों से संबंधित विभाग यदि कोई है, का प्रभारी राज्य मंत्री या उपमंत्री- उपाध्यक्ष पदेन;

(ग) निःशक्तता कार्य, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे, के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव-पदेन सदस्य;

(घ) राज्य विधान-मंडल के तीन सदस्य जिनमें से दो का चयन विधान सभा द्वारा और एक सदस्य का चयन विधान परिषद्, यदि कोई हो, द्वारा किया जाएगा और जहां कोई विधान परिषद् नहीं है, वहां तीनों सदस्यों का चयन विधान सभा द्वारा किया जाएगा,—सदस्य पदेन;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य— 5

(i) पांच सदस्य जो निःशक्तता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) जिलों का ऐसी शीति में जो विहित की जाए, प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्रानुक्रम में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य:

परंतु इस उपखंड के अधीन कोई नामनिर्देशन सिवाय संबंधित जिला प्रशासन की सिफारिश के नहीं किया जाएगा; 10

(iii) गैर सरकारी संगठनों या संगमों जो निःशक्तता से संबद्ध है का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो निःशक्त व्यक्ति हों :

परंतु इस खंड के अधीन नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा; 15

(iv) वाणिज्य और उद्योग के राज्य चैम्बरों में से तीन से अनधिक प्रतिनिधि;

(च) राज्य सरकार में निःशक्तता विषयों से संबंधित विभाग में ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो — पदेन सदस्य-सचिव। 20

सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

**66.** (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद धारण नहीं कर लेता है। 25

(2) राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा। 30

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा। 35

(6) धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (i) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

67. (1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो—

निरर्हता।

(क) दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

5 (ख) विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) उसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वर्तित है, या

10 (घ) वह सिद्धदोष है या उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) उसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के लिए हानिकर है।

15 (2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने का तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(3) धारा 66 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई सदस्य, जो हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

20 68. यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य धारा 67 में विनिर्दिष्ट निरर्हता के अधीन हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

स्थानों का रिक्त होना।

69. राज्य सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के ऐसे नियमों या प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

25 70. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सलाहकार बोर्ड निःशक्तता मामलों पर एक राज्यस्तरीय परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा तथा निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

30 (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार को निःशक्तता की बाबत नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति का विकास करना;

35 (ग) राज्य सरकार के सभी विभाग और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों को बरत रहे हैं, के कार्यकलापों का पुनरीक्षण और समन्वयन करना;

40 (घ) राज्य योजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निःशक्त व्यक्तियों के मामलों को उठाना;

(ड) निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच, युक्तियुक्त रूप से वास, भेदभावहीनता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और वातावरण तैयार करना तथा अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए विधियों, नीतियों और डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और 5

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

निःशक्तता जिला स्तर समिति।

71. राज्य सरकार, ऐसे कृत्य जो विहित किए जाएं, का पालन करने के लिए निःशक्तता पर जिला स्तर समितियों का गठन करेगी। 10

शक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

72. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला स्तर निःशक्तता समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या समिति में कोई शक्ति है या गठन में कोई त्रुटि है।

## अध्याय 12

15

### निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।

73. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नामक एक निकाय का गठन करेगी जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा कोई विधि, नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के उपबंध जो इस अधिनियम से असंगत हैं, की पहचान करना और आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना; 20

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों की हानि के बारे में और वे विषय, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, की बाबत उनको उपलब्ध सुरक्षा तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विषय हाथ में लेना; 25

(ग) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपबंधित सुरक्षोपायों की समीक्षा करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करना जो निःशक्त व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के उपयोग को सीमित करते हैं तथा समुचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना; 30

(ड) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना; 35

(छ) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की जागरूकता का संवर्धन करना और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपाय करना;

(ज) निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस आशयित अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों आदि के कार्यान्वयन की निगरानी करना; 40



(इ) निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करना; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य जो केन्द्रीय सरकार सौंपे।

(2) राष्ट्रीय आयोग निःशक्तता के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून सेवा का प्रतिष्ठित अभिलेख रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से अध्यक्ष और निःशक्तता विषयों से संबंधित पुनर्वास, अधिवक्ता, विधि, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बीस वर्ष से अन्यून सेवा का प्रतिष्ठित अभिलेख रखने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परंतु दो सदस्यों में से एक सदस्य निःशक्त व्यक्ति होगा।

(3) राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में होगा।

74. (1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति।

(क) मंत्रिमंडल सचिव—अध्यक्ष;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय या विभाग का समन्वयक के रूप में प्रभारी सचिव—सदस्य;

(ग) स्वास्थ्य और कार्मिक से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रभारी सचिव—सदस्य;

(घ) निःशक्त व्यक्तियों के मामले में सशक्तिकरण और पुनर्वास के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले दो विशेषज्ञ।

(2) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने के कारण हुई किसी रिक्ति की तारीख से दो मास के भीतर और उस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवानिवृत्ति या पदावधि पूरा होने की तारीख से तीन मास पूर्व उस रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निदेश करेगी।

(3) चयन समिति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को उस तारीख से जिसको इसे संदर्भित किया जाता है, से दो मास के भीतर अंतिम रूप देगी।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) चयन समिति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिसकी उसके सदस्य के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

(6) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण केवल इस आधार पर अविधिमाम्य नहीं होगी।

75. (1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने पद धारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे और वह तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून अवधि की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 76 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।

76. (1) धारा 75 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, पद से हटा सकेगी, यदि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या 5

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या 10

(ङ) उसने अपनी स्थिति का ऐसे दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन सुने जाने का व्यक्तिगत अवसर प्रदान किए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और कृत्यों का निर्वहन करना।

77. (1) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से किसी रिक्ति की दशा में ज्येष्ठतम सदस्य को तब तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अध्यक्ष पद धारण नहीं कर लेता है। 15

(2) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ रहने की दशा में, ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए तब तक प्राधिकृत कर सकेगी जब तक कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता है। 20

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिहित ज्येष्ठतम सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए या उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी सदस्य के वेतन और भत्तों का आहरण करना जारी रखेगा। 25

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

78. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

79. राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित के कारण अविधिमान्य नहीं होगी— 30

(क) राष्ट्रीय आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राष्ट्रीय आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है। 35

राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रक्रिया।

80. (1) राष्ट्रीय आयोग ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए उपबंधों के अध्याधीन राष्ट्रीय आयोग को विनियमों द्वारा इसकी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी। 40

(3) राष्ट्रीय आयोग के सभी आदेशों और विनिश्चयों को राष्ट्रीय आयोग के सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत राष्ट्रीय आयोग के किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

81. (1) केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति का कोई अधिकारी नियुक्त करेगी जो राष्ट्रीय आयोग का सचिव होगा।

राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृद्ध।

(2) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की और कर्मचारिवृद्ध की नियुक्ति कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृद्ध के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

82. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की तारीख से तुरंत पूर्व निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसी तारीख से ही ऐसे पदनाम के साथ जैसा कि राष्ट्रीय आयोग अवधारित करे, राष्ट्रीय आयोग का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अपना पद या सेवा करना जारी रखेगा जैसा कि मानो उसने उस तारीख को जारी रखा होता यदि राष्ट्रीय आयोग का गठन नहीं किया गया होता और वह तब तक ऐसा करना जारी रखेगा जब तक कि राष्ट्रीय आयोग में उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है और ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को राष्ट्रीय आयोग द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है :

विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण।

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधनों और शर्तों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

83. जब कभी राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 73 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को यह सिफारिश की जाती है कि प्राधिकारी उस पर अपेक्षित कार्रवाई करेगा और आयोग को सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर की गई कार्रवाई को सूचित करेगा :

राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

परंतु जहां प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है वहां वह अस्वीकार न करने के कारण तीन मास के भीतर राष्ट्रीय आयोग को सूचित करेगा और व्यथित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।

84. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में विहित होती हैं, अर्थात् :—

राष्ट्रीय आयोग को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होना।

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से उसके किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 1860 का 45 और धारा 228 के अर्थात्गत न्यायिक कार्यवाही होगी और राष्ट्रीय आयोग, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना 1974 का 2 जाएगा।

राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।

85. (1) राष्ट्रीय आयोग, केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर जो उसके मत में आत्यंतिकतः या महत्ता का है जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक आस्थगित नहीं किया जा सकेगा, पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। 5

(2) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशें, यदि कोई हों, को अस्वीकार किए जाने वाले कारणों सहित उन पर एक ज्ञापन के साथ संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। 10

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टें ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार की जाएंगी तथा उनमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

### अध्याय 13

15

### निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग का गठन।

86. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग नामक एक निकाय का गठन करेगी या पारस्परिक सम्मति से दो या अधिक राज्य अपने राज्यों की बाबत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने के लिए एक आयोग रख सकेंगे, अर्थात् :— 20

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा कोई विधि, नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं, की पहचान करना और आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों की हानि के बारे में और वे विषय जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, की बाबत उनको उपलब्ध सुरक्षा तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विषय हाथ में लेना; 25

(ग) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपबंधित सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करना जो निःशक्त व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के उपयोग को सीमित करते हैं तथा समुचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना; 30

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की जागरूकता का संवर्धन करना और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपाय; 35

(छ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस आशयित अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों आदि के कार्यान्वयन की मानीटरी करना;

(ज) निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की निगरानी करना; और 40

(झ) ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर राज्य सरकार सौंपे।

(2) राज्य आयोग निःशक्तता के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून सेवा का प्रतिष्ठित अभिलेख रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से अध्यक्ष और निःशक्तता विषयों से संबंधित पुनर्वास, अधिवक्ता, विधि, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष से अन्यून सेवा का प्रतिष्ठित अभिलेख रखने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परंतु दो सदस्यों में से एक सदस्य निःशक्त व्यक्ति होगा।

(3) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

87. (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति।

(क) मुख्य सचिव—अध्यक्ष;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय या विभाग का समन्वयक के रूप में प्रभारी सचिव—सदस्य;

(ग) स्वास्थ्य और कार्मिक से संबंधित राज्य सरकार के विभागों का प्रभारी सचिव—सदस्य;

(घ) निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के क्षेत्र के विषयों में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले दो विशेषज्ञ।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने के कारण हुई किसी रिक्ति की तारीख से दो मास के भीतर और उस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवानिवृत्ति या पदावधि पूरा होने की तारीख से तीन मास पूर्व उस रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निर्देश करेगी।

(3) चयन समिति राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को उसे निर्दिष्ट किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर अंतिम रूप देगी।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) चयन समिति राज्य आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिसकी उसके सदस्य के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

(6) राज्य आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

88. (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष और सदस्य उसके पद धारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे और वह तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) राज्य सरकार को तीन मास से अन्यून अवधि का नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 89 के उपबंधों के अनुसार उसको उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।

**89.** (1) धारा 88 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, पद से हटा सकेगी, यथास्थिति, यदि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या 5

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या 10

(ङ) उसने अपनी स्थिति का ऐसे दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

**90.** (1) राज्य सरकार, अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा किसी रिक्ति की दशा में ज्येष्ठतम सदस्य को तब तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अध्यक्ष पद धारण नहीं कर लेता है। 15

(2) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ रहता है तब राज्य सरकार, ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उस तारीख तक तब तक प्राधिकृत कर सकेगी जब तक कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता है। 20

(3) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए या उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पदाभिहित ज्येष्ठतम सदस्य किसी सदस्य के वेतन और भत्तों का आहरण करना जारी रखेगा। 25

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

**91.** राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु अध्यक्ष और सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 30

रिक्तियों आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

**92.** राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित के कारण अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) राज्य आयोग में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या 35

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

राज्य आयोग की प्रक्रिया।

**93.** (1) राज्य आयोग ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्याधीन राज्य आयोग को विनियमों द्वारा इसकी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी।

5 (3) राज्य आयोग के सभी आदेशों और विनिश्चयों को राज्य आयोग के सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत राज्य आयोग किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

94. (1) राज्य सरकार, आयोग के लिए राज्य सरकार के अपर सचिव की पंक्ति का कोई अधिकारी नियुक्त करेगी जो आयोग का सचिव होगा।

राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।

10 (2) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगा जो कि वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

15 95. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की स्थापना की तारीख से तुरंत पूर्व निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्ति के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसी तारीख से ही ऐसे पदनाम के साथ जैसा कि राज्य आयोग अवधारित करे, राज्य आयोग का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अपना पद या सेवा करना जारी रखेगा जैसा कि मानो उसने उस तारीख को जारी रखा होता यदि राज्य आयोग का गठन नहीं किया गया होता और वह तब तक ऐसा करना जारी रखेगा जब तक कि राज्य आयोग में उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है या ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को राज्य आयोग द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है :

राज्य आयोग के विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण।

25 परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधनों और शर्तों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

30 96. (1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर जो उसके मत में आत्यंतिकतः या महत्ता का है जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक आस्थगित नहीं किया जा सकेगा, पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।

35 (2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशें, यदि कोई हों, को अस्वीकार किए जाने वाले कारणों सहित उन पर एक ज्ञापन के साथ राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टें ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार की जाएंगी तथा उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

1996 का 1 40 97. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन नियुक्त निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त उस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों का पालन करना और उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना ऐसे समय तक जारी रखेंगे जब तक कि इस

संक्रमणकालीन उपबंध।

अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग का गठन नहीं कर दिया जाता किंतु, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के गठन पर, यथास्थिति, निःशक्त व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त और निःशक्त व्यक्ति के लिए राज्य आयुक्त अपने पद पर नहीं रहेंगे।

#### अध्याय 14

5

#### विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालय।

**98.** त्वरित विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी।

10

विशेष लोक अभियोजक।

**99.** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ऐसी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

15

#### अध्याय 15

#### निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि।

**100.** (1) निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा—

20

(क) अधिसूचना सं. का.आ. 573(अ), तारीख 11 अगस्त, 1983 द्वारा गठित निःशक्त व्यक्तियों के लिए निधि के अधीन उपलब्ध रकम और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन अधिसूचना सं. का.अ. 30-03/2004-डीडी2, तारीख 21 नवंबर, 2006 द्वारा गठित निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि;

1890 का 6

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की 2000 की सिविल अपील सं. 4655 और 5218 में तारीख 16 अप्रैल, 2004 के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदेय सभी राशियां;

25

(ग) अनुदान, दानों, संदानों, धर्मदानों वसीयत या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां;

(घ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियां जिनके अंतर्गत सहायता अनुदान भी है;

30

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले अन्य स्रोतों से सभी राशियां।

(2) निःशक्त व्यक्तियों के लिए निधि का उपयोग और प्रबंधन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

35

लेखा और लेखा-परीक्षा।

**101.** (1) केन्द्रीय सरकार, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगी और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए निधि के लेखाओं का वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखा भी है, तैयार करेगी।

(2) निधि के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षित किए जाएंगे जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय निधि से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

40



(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निधि के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संपुक्त वाचचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

## अध्याय 16

### अपराध और शास्तियां

15 **102.** कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा और किसी पश्चात्पूर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम न होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।

20 **103.** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

कंपनियों द्वारा अपराध।

25 परंतु इस उपधारा की कोई बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनाएगी; यदि वह यह साबित करता है कि अपराध को उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

30 (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

40 **104.** जो कोई कपटपूर्वक किसी संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे का लाभ उठाता है या लाभ उठाने का प्रयत्न करता है वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड।

अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड।

**105. जो कोई—**

(क) किसी स्थान में निःशक्त व्यक्ति को जनता की निगाह में आशयित रूप से अपमानित करता है या अपमान करने के आशय से भयभीत करता है;

(ख) उसे अवमान के आशय से किसी निःशक्त व्यक्ति पर हमला करता है या बल प्रयोग करता है या निःशक्त महिला की शालीनता का घोर अपमान करता है; 5

(ग) निःशक्त व्यक्ति के ऊपर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखता है, स्वैच्छिक रूप से या जानते हुए उसे भोजन या तरल पदार्थ देने से मना करता है;

(घ) निःशक्त बालक या महिला की इच्छा पर प्रभुत्व स्थिति में होते हुए और लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए उस प्रास्थिति का उपयोग करता है; 10

(ङ) निःशक्त व्यक्ति के किसी अंग या इंद्रिय या समर्थक युक्ति के उपयोग को स्वैच्छिक रूप से क्षति पहुंचाता है, हानि करता है या दखल देता है;

(च) किसी निःशक्त महिला पर किए जाने के लिए किसी चिकित्सीय प्रक्रिया को पूरा करता है, संचालन करता है या निदेश करता है जिससे उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना गर्भावस्था की समाप्ति होती है या समाप्त होने की संभावना है, सिवाय उन मामलों में जहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय में और निःशक्त महिला के संरक्षण की सहमति से भी निःशक्तता के गंभीर मामलों में गर्भावस्था के समापन के लिए चिकित्सीय प्रक्रिया की गई है, 15

छह मास से कम की अन्यून अवधि के लिए कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। 20

जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड।

**106.** जो कोई पुस्तिका, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में या कोई विवरणी, जानकारी या विशिष्टियां जो इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश, विनियम या निदेश के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रस्तुत करने या देने या किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, को पेश करने में असफल रहता है वह प्रत्येक अपराध की बाबत जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और लगातार असफलता या इंकार के मामले में अतिरिक्त जुर्माने से जो जुर्माने के दंड के अधिरोपण के मूल आदेश की तारीख के पश्चात् लगातार असफलता या इंकार के लिए प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा। 25

समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन।

**107.** कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन या इस निमित्त इस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद के सिवाय, इस अध्याय के अधीन समुचित सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। 30

अनुकल्पी दंड।

**108.** जहां इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियम के भी अधीन कोई कार्य या लोप किसी अपराध को गठित करता है तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया अपराधी केवल ऐसे अधिनियम के अधीन, जो ऐसे दंड के लिए उपबंध करता है, जो कि डिग्री में अधिक है, केवल दंड के लिए भागी होगा। 35

## अध्याय 17

### प्रकीर्ण

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।

**109.** इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में। 40

110. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग के किसी अधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं की जाएंगी।
- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
111. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो :
- कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।
- 10 परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष तक की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा।
- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
112. (1) समुचित सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर या अन्यथा केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और जारी ऐसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।
- अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।
- (2) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना यथाशीघ्र इसके जारी होने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
- 20 113. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।
- केंद्रीय सरकार का नियम बनाने की शक्ति।
- (2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—
- 25 (क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदाचार समिति के गठन की रीति;
- (ख) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन समान अवसर नीति अधिसूचित करने की रीति;
- (ग) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक स्थापन द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण का प्ररूप और रीति;
- 30 (घ) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत अनुतोष अधिकारी द्वारा शिकायतों के रजिस्टर की अनुरक्षण की रीति;
- (ङ) धारा 35 के अधीन विशेष रोजगार कार्यालय के लिए स्थापन द्वारा जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करने की रीति;
- (च) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण बोर्ड की संरचना और उपधारा (3) के अधीन निर्धारण बोर्ड द्वारा किए जाने वाले निर्धारण की रीति;
- 35 (छ) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन निःशक्तता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन की रीति और उपधारा (2) के अधीन निःशक्तता के प्रमाणपत्र का प्ररूप;
- (ज) धारा 60 की उपधारा (6) के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते की रीति;
- 40

(झ) धारा 63 के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;

(ञ) धारा 78 के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ट) धारा 81 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें; 5

(ठ) धारा 85 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप, रीति और अंतर्वस्तु;

(ड) धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन प्रक्रिया, निधि की उपयोगिता और प्रबंधन की रीति; 10

(ढ) धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन निधि के लेखाओं की तैयारी के लिए प्ररूप ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15 20

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

**114.** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :— 25

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदाचार समिति के गठन की रीति;

(ख) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए किसी आवेदन को करने के लिए प्ररूप और रीति;

(ग) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए संस्थान द्वारा पूरा किए जाने के लिए दी जाने वाली सुविधाएं और मानक; 30

(घ) धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र से संलग्न प्ररूप और शर्तें;

(ङ) धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के निपटान की अवधि; 35

(च) वह अवधि जिसके भीतर धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जाएगी;

(छ) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का समय और रीति और उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपील के निपटान की रीति; 40

(ज) धारा 66 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(झ) धारा 69 के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;

5 (ञ) धारा 71 के अधीन राज्य स्तर समिति की संरचना और कृत्य;

(ट) धारा 91 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ठ) धारा 94 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

10 (ड) धारा 96 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक और विशेष रिपोर्टों का प्ररूप, शैली और अंतर्वस्तु; और

(ढ) धारा 99 की उपधारा (2) के अधीन विशेष लोक अभियोजक को संदत्त की जाने वाली फीस या पारिश्रमिक।

15 (3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

20 **115.** (1) राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा।

राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 39 के अधीन पहुंच के लिए मानक; और

25 (ख) धारा 80 के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम।

30 (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

35 **116.** (1) राज्य आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा :

राज्य आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां।

परंतु जहां राष्ट्रीय आयोग द्वारा किसी ऐसे विषय में पहले ही विनियम जारी किए गए हैं, वहां ऐसे विनियम उक्त शैली से संबंधित राज्य सरकार के विनियमों पर अभिभावी होंगे।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य आयोग, धारा 93 के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियमों से संबंधित विनियम बनाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

**117.** (1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अधिनियम के ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

5

1996 का 1

10

## अनुसूची

[धारा 2 का खंड (भ) देखिए]

### विनिर्दिष्ट निःशक्तताएं

1. “स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार” से एक ऐसी तंत्रिका मनोचिकित्सकीय स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।
2. “नेत्रहीनता” से एक ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,—
  - (i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
  - (ii) बेहतर नेत्र में दृश्य संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अनधिक; या
  - (iii) 10 डिग्री या बदतर कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा।
3. “प्रमस्तिष्क घात” से किसी व्यक्ति में गैर अनुक्रमिक तंत्रिका स्थिति का समूह विद्यमान है जो शरीर की गति और मांसपेशी के समन्वय को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को क्षति से कारित होता है, जो प्रायः जन्म से पहले या उसके तुरंत पश्चात् उत्पन्न होता है।
4. “चिरकालिक तंत्रिका स्थितियां” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसका उद्भव व्यक्ति की तंत्रिका प्रणाली के किसी भाग में है, जो लंबी अवधि तक रहती है या उनके बार-बार होने से परिलक्षित होती हैं।
5. “बधिर-नेत्रहीनता” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति में श्रव्य और दृश्य क्षीणता का संयोजन हो सकता है जो गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं कारित कर सकता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं,—
  - (i) मध्यम से गंभीर श्रव्य और महत्वपूर्ण दृश्य क्षीणताएं;
  - (ii) मध्यम से गंभीर श्रव्य और महत्वपूर्ण दृश्य क्षीणताएं और अन्य महत्वपूर्ण निःशक्तताएं;
  - (iii) दृश्य और श्रव्यता की केन्द्रीय प्रसंस्करण समस्याएं;
  - (iv) अनुक्रमिक संवेदी क्षीणताएं या महत्वपूर्ण दृश्य क्षीणताएं; और
  - (v) श्रवणीय प्रसंस्करण तंत्रों की संभाव्य क्षति (गंभीर शारीरिक निःशक्तता या गंभीर ज्ञानात्मक निःशक्तता के साथ सहबद्ध) और गंभीर संचार विलंब।
6. “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशिकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रुधिर का थक्का जमाने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रुधिर स्राव हो सकता है।
7. “श्रव्य क्षीणता” से बेहतर कान में 60 डेसीबल श्रव्य स्तर या अधिक की संवाद विषयक आवृत्तियों की रेंज की हानि है।

8. “बौद्धिक निःशक्तता” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कौशलों की रेंज है।

9. “कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त किया जा चुका है किंतु जो निम्नलिखित से पीड़ित है,—

(i) हाथों या पैरों में संवेदनहीनता के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदनहीनता और पक्षघात किंतु जिसमें कोई व्यक्त विकृति नहीं है;

(ii) मुख विकृति और पक्षघात किंतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त संचलता है जिससे वे साधारण आर्थिक कार्यकलापों में लगे रहने में समर्थ हैं;

(iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्ध जो उन्हें कोई लाभदायक व्यवसाय करने से निवारित करती है और “कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

10. “गति विषयक निःशक्तता” से व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता अभिप्रेत है, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम मांसपेशी-अस्थिपंजर या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है।

11. “निम्न-दृष्टि” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात् :—

(i) बेहतर आंख में सुधारकारी लेंसों के साथ-साथ 6/18 या 20/60 से अनधिक और 6/60 या 20/200(स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(ii) 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएं।

12. “मानसिक रुग्णता” से चितन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु इसके अंतर्गत मानसिक मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमत्ता का सामान्य से कम होना है।

13. “पेशीय बहुदुष्पोषण” से वंशानुगत आनुवांशिक मांसपेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचल करने वाली मांसपेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, मांसपेशी की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीनों में त्रुटि और मांसपेशी कोशिकाओं और टिश्युओं की मृत्यु है।

14. “बहु-स्कलेरोसिस” से प्रदाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है।

15. “विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता” से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया शामिल हैं।



16. “अभिवाक् और भाषा निःशक्तता” से लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निःशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

17. “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।

18. “सिक्कल कोशिका रोग” से हेमोलेटिक विकार अभिप्रेत है जो रुधिर की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। “हेमोलेटिक” लाल रुधिर कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

19. “बहु निःशक्तता” से किसी व्यक्ति में समय-समय पर उद्भूत होने वाली क्रम संख्या 1 से 18 में वर्णित दो या इससे अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तता अभिप्रेत है।

20. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में निःशक्तता वाले लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम निःशक्तता वाले व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जो चालीस प्रतिशत से अन्यून निःशक्तता रखते हैं और निःशक्तता के सात प्रवर्गों अर्थात् नेत्रहीनता; निम्न दृष्टि; श्रव्य क्षीणता; गति विषयक निःशक्तता; मानसिक मंदता; मानसिक रुग्णता और कुष्ठरोग अभिसाधित की पहचान की गई है।

2. गत समय में, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का धारणात्मक बोध अधिक स्पष्ट हो गया है और निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को निपटाने के दृष्टिकोण में विश्वव्यापी परिवर्तन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य पक्षकारों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों को अधिकथित करते हुए निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अपने अभिसमय को अंगीकृत किया था। भारत ने उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और तत्पश्चात् 1 अक्टूबर, 2007 को उसका अनुसमर्थन किया गया था। अभिसमय 3 मई, 2008 को प्रभावी हुआ था। अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण, भारत की उक्त अभिसमय के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाध्यता है जिसके लिए पूर्णतः नया विधान अपेक्षित है।

3. वर्ष 2010 में, डॉ॰ सुधा कौल, उपाध्यक्ष, भारतीय प्रमांस्तिष्कीय पक्षाघात संस्थान, कोलकाता की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 2011 में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित प्रारूप विधेयक का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। प्रारूप विधेयक पर राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों और विभिन्न पणधारियों को अन्तर्वलित करते हुए विभिन्न स्तरों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श हुआ था।

4. अन्य बातों के साथ-साथ, निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

- (i) उन्नीस विनिर्दिष्ट निःशक्तताएं परिभाषित की गई हैं;
- (ii) निःशक्त व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समानता का अधिकार, गरिमामय जीवन, उसकी सत्यनिष्ठा के आदर का अधिकार, आदि, जैसे विभिन्न अधिकारों का उपयोग करना;
- (iii) समुचित सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारियां प्रगणित की गई हैं;
- (iv) समुचित सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशक्त बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगी;
- (v) निःशक्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रस्ताव किया गया है;
- (vi) केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों के माध्यम से नीति निर्माण में पणधारियों की भागीदारी;
- (vii) प्रत्येक स्थापन में संदर्भित निःशक्तता वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए रिक्तियों में विद्यमान तीन प्रतिशत के आरक्षण को बढ़ाकर पांच प्रतिशत तक करना तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में संदर्भित निःशक्त छात्रों के लिए स्थानों में आरक्षण करना;

(viii) शिकायत प्रतितोष तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना करना और निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्रमशः मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त को प्रतिस्थापित करते हुए प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(ix) विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत;

(x) निःशक्त व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए शास्तियां; और

(xi) अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय के रूप में सेशन न्यायालय को पदाभिहित किया जाना।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**नई दिल्ली:**

31 जनवरी, 2014

मल्लिकार्जुन खरगे

## खंडों पर टिप्पण

**खंड 1**—यह खंड, प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 2**—यह खंड, विधेयक के विभिन्न उपबंधों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों और पदों की परिभाषाओं का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 3**—यह खंड, यह उपबंध करने के लिए है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समान कर्तव्यनिष्ठा के लिए समता गरिमा के साथ जीवन और उनकी सत्यनिष्ठा के प्रति आदर के साथ अधिकार का उपभोग करते हैं।

**खंड 4**—यह खंड, समुचित सरकार के लिए यह प्रयास करने का उपबंध करने के लिए है कि निःशक्त व्यक्ति सामुदायिक जीवन जीने के अधिकार का उपभोग करें।

**खंड 5**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा यातना, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए समुचित उपायों को करने के उत्तरदायित्व का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 6**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षण के लिए उपायों को करने का उपबंध करने के लिए है। यह किसी दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के संबंध में परिवाद से संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करने के लिए भी है।

**खंड 7**—यह खंड, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रबंधन प्राधिकरण जोखिमों की स्थितियों में निःशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समुचित उपाय करे।

**खंड 8**—यह खंड, निःशक्त बालकों को उनके कुटुंब के साथ रहने के लिए अधिकार हेतु उपबंध करने के लिए है और कतिपय आपवादिक मामलों में सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को ऐसे आश्रय गृहों में रख सकेगा जो आवश्यक हों।

**खंड 9**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों के प्रजनन अधिकारों का उपबंध करने के लिए और निःशक्त व्यक्तियों पर किए जाने के लिए ऐसी चिकित्सीय प्रक्रिया को प्रतिषेध करने के लिए है जिससे उसकी स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना अनुर्वर होना है।

**खंड 10**—यह खंड, उपबंध करने के लिए है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि निःशक्त व्यक्तियों की मतदान तक पहुंच हैं।

**खंड 11**—यह खंड, उपबंध करने के लिए है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्ति किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या किसी अन्य न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय तक पहुंच रखते हैं।

**खंड 12**—यह खंड, उपबंध करने के लिए है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से स्वयं की या विरासती संपत्ति स्थावर या जंगम, उनके वित्तीय मामलों पर नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋणों, बंधकों तथा वित्तीय जमा के अन्य प्रारूपों तक पहुंच रखेंगे।

**खंड 13**—यह खंड, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों जो स्वयं की ओर से सभी विधिक आबद्धकर विनिश्चय ले सकते हैं, के लिए जिला न्यायालय द्वारा सीमित संरक्षता और सर्वांगीण संरक्षकता प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 14**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए समुदाय समर्थन को गतिशील करने के लिए प्राधिकारियों को अभिहित करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 15**—यह खंड, शिक्षा समावेशन जिसमें छात्र निःशक्तता सहित या उसके बिना साथ सीखते हैं और अध्यापन प्रणाली तथा विद्या को निःशक्त छात्रों के लिए विभिन्न प्रकारों या विभिन्न प्रकार की विद्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अंगीकृत किया जाता है, के ध्येय को प्राप्त करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थाओं के कर्तव्यों के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 16**—यह खंड, सम्मिलित शिक्षा को प्रोन्नत करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों को करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के लिए उपबंध करने हेतु है।

**खंड 17**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपायों को करने हेतु समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 18**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वतः नियोजन के संवर्धन के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों को विरचित करने हेतु समुचित सरकार के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 19**—यह खंड, नियोजन से संबंधित किसी विषय पर किसी निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध विभेद करने से प्रत्येक स्थापन को प्रतिषेध करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 20**—यह खंड, समान अवसर नीति अधिसूचित करने के लिए प्रत्येक स्थापन के उत्तरदायित्व का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 21**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों को प्रदान किए गए नियोजन और सुविधाओं के विषय में अभिलेख के अनुसूचन हेतु प्रत्येक स्थापन का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 22**—यह खंड, नियोजन में विभेद के विषय में शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रत्येक स्थापन के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 23**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करने के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों को विरचित करने के लिए और समुचित सरकार के लिए उपबंध करने के लिए है और यह ऐसी स्कीमों के लिए विभिन्न क्षेत्रों की गणना करता है।

**खंड 24**—यह खंड, सामीप्य में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं तक निःशुल्क और बाधारहित पहुंच प्रदान करने के लिए उपायों को करने और स्वास्थ्य देख-रेख के संवर्धन तथा निःशक्तता की घटना को रोकने के लिए उन पर उत्तरदायित्वों को डालने के लिए भी समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 25**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा उनके निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीमों को बनाने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 26**—यह खंड, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को चलाए जाने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 27**—यह खंड, समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों से सरोकार रखने वाले सशक्तीकरण के मुद्दे पर अनुसंधान और विकास करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 28**—यह खंड, सांस्कृतिक जीवन और आमोद-प्रमोद की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सुकर बनाने हेतु उपाय किए जाने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 29**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा खेलकूद की गतिविधियों में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी के संवर्द्धन के लिए उपाय किए जाने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 30**—यह खंड, निःशुल्क शिक्षा के लिए छह वर्ष और अट्ठारह वर्ष की आयु के बीच संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक के अधिकार के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 31**—यह खंड, संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए सरकार में स्थानों और सरकार से सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 32**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थापनों में पदों की पहचान करने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 33**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित स्थापनों में रिक्तियों के आरक्षण के उपबंध करने के लिए है और यह ऐसी रिक्तियों को भरे जाने के लिए भर्ती की रीति के लिए भी उपबंध करता है।

**खंड 34**—यह खंड, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के संवर्द्धन के लिए प्रोत्साहनों को देने के लिए उपबंध करने हेतु है।

**खंड 35**—यह खंड, विशेष रोजगार कार्यालयों में संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए स्थापनों हेतु उपबंध करने के लिए है।

**खंड 36**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रमों को बनाने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 37**—यह खंड, किसी प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए अधिक सहारे की अपेक्षा करने वाले निःशक्त व्यक्तियों हेतु उपबंध करने के लिए है और यह किसी निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ऐसे सहारे को प्रदान करने के लिए व्यवस्था करने हेतु ऐसे प्राधिकारी के कर्तव्य के लिए भी उपबंध करता है।

**खंड 38**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के विषय में जागरूकता अभियान और सुग्राह्यता कार्यक्रम का संचालन, प्रोत्साहन, समर्थन या संवर्द्धन करने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 39**—यह खंड, राष्ट्रीय आयोग द्वारा भौतिक पर्यावरण परिवहन, जानकारी, संसूचना तथा जनता में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पहुंच के मानक अधिकथित करने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 40**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों द्वारा परिवहन के सभी ढंगों को सुकर और पहुंच के लिए उपयुक्त उपायों को करने के लिए उपबंध करने हेतु है।

**खंड 41**—यह खंड, यह समुचित सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए कि निःशक्त व्यक्ति सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखते हैं, उपायों को करने के लिए उपबंध करने के लिए हैं।

**खंड 42**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के साधारण उपयोग के लिए सार्वभौमिक डिजाइन उपभोक्ता उत्पादों के विकास और वितरण के संवर्द्धन के लिए उपायों को करने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 43**—यह खंड, स्थापनों द्वारा पहुंच के सन्नियमों का आज्ञापक रूप से पालन करने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 44**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों के लिए विद्यमान अवसरचना का और सुगम परिसरों के निर्माण करने के लिए समय-सीमा हेतु उपबंध करने के लिए है और यह उस प्रयोजन के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए भी उपबंध करता है।

**खंड 45**—यह खंड, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरचित करने वाले पहुंच सन्नियमों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सेवा प्रदाता हेतु समय सीमा के लिए उपबंध करने हेतु है।

**खंड 46**—यह खंड, समुचित सरकार प्रस्तावित विधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए मानव संसाधन विकास हेतु विभिन्न उपाय किए जाने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 47**—यह खंड, समुचित सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए सभी साधारण स्कीमों और कार्यक्रमों की सामाजिक संपरीक्षा किए जाने के लिए उपबंध करने के लिए है।

**खंड 48**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए है।

**खंड 49**—यह खंड, निःशक्त व्यक्तियों की किसी संस्था के स्थापन के लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा के लिए उपबंध करने हेतु है।

**खंड 50**—यह खंड, राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए प्रक्रिया हेतु उपबंध करने के लिए है।

**खंड 51**—यह खंड, उन शर्तों के लिए उपबंध करने के लिए है जिनके अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए प्रक्रिया अनुसरित की जानी है।

**खंड 52**—यह खंड, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की मंजूरी से इंकार करने वाले और रजिस्ट्रीकरण के ऐसे प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के विनश्चय के बारे में अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करने के ठहराव हेतु उपबंध करने के लिए है।

**खंड 53**—यह खंड केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित संस्थाओं को रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा से छूट देने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 54**—यह खंड समुचित सरकार को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 55**—यह खंड केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं का निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 56**—यह खंड समुचित सरकार को प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए पदाभिहित करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 57**—यह खंड विनिर्दिष्ट निःशक्त किसी व्यक्ति को निःशक्तता का प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 58**—यह खंड राज्य सरकार द्वारा यथा पदाभिहित ऐसे अपील प्राधिकारी को प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 59**—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 60**—यह खंड केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 61**—यह खंड केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के लिए निरर्हता के आधारों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 62**—यह खंड निरर्हता के आधार पर सदस्यों के स्थान के रिक्त होने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 63**—यह खंड केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों का और केन्द्रीय सरकार को उसकी बैठकों में कारबार का संव्यवहार करने के लिए प्रक्रिया के नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 64**—यह खंड केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 65**—यह खंड राज्य सरकार द्वारा निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 66**—यह खंड राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 67**—यह खंड राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य की निरर्हता के आधारों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 68**—यह खंड राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा निरर्हता के कारण स्थानों को रिक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 69**—यह खंड राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों का और राज्य सरकार को उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 70**—यह खंड निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 71**—यह खंड राज्य सरकार को निःशक्तता पर जिला स्तर समिति का गठन करने के लिए सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 72**—यह खंड केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला स्तर समिति में रिक्तियों से उनकी कार्यवाहियों के अविधिमान्य न होने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 73**—यह खंड केन्द्रीय सरकार को निःशक्त व्यक्तियों के लिए, राष्ट्रीय आयोग का गठन करने और उसके कृत्यों को परिगणित करने का उपबंध करने के लिए है।



**खंड 74**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 75**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 76**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने के आधारों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 77**—यह खंड उन परिस्थितियों जिनके अधीन राष्ट्रीय आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा या उसके कृत्यों का पालन कर सकेगा, का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 78**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 79**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का उसमें रिक्तियों द्वारा, अविधिमान्य न होने का, उपबंध करने के लिए है।

**खंड 80**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसके कारबार के संव्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का और राष्ट्रीय आयोग को विनियमन बनाने के लिए सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 81**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद का और उनकी सेवा की शर्तों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 82**—यह खंड निःशक्त व्यक्ति, मुख्य आयुक्त के विद्यमान कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं के अंतरण का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 83**—यह खंड संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के कर्तव्य का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 84**—यह खंड, राष्ट्रीय आयोग द्वारा कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 85**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करने और ऐसी रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 86**—यह खंड राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति राज्य आयोग का गठन करने और उसके कृत्यों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 87**—यह खंड राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 88**—यह खंड राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 89**—यह खंड राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद हटाने के आधारों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 90**—यह खंड उन परिस्थितियों जिनके अधीन राज्य आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा या उसके कृत्यों का पालन कर सकेगा, का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 91**—यह खंड राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 92**—यह खंड राज्य आयोग की कार्यवाहियों का उसमें रिक्तियों द्वारा, अविधिमान्य न होने का, उपबंध करने के लिए है।

**खंड 93**—यह खंड राज्य आयोग द्वारा उसके कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का और राज्य आयोग को विनियम बनाने के लिए सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 94**—यह खंड राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 95**—यह खंड विद्यमान राज्य निःशक्त व्यक्ति आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की सेवाओं को राज्य आयोग में अंतरित करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 96**—यह खंड राज्य आयोग को वार्षिक और विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करने का और ऐसी वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन जहां ऐसा विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बना है उस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 97**—यह खंड संक्रमणकालीन उपबंधों का उपबंध करने के लिए है जिसमें निःशक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त और निःशक्त व्यक्ति राज्य आयुक्त तब तक कार्य करना जारी रखेंगे जब तक कि क्रमशः राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग का गठन नहीं कर लिया जाता है।

**खंड 98**—यह खंड राज्य सरकार को निःशक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 99**—यह खंड राज्य सरकार को निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 100**—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 101**—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय निधि के लेखाओं का अनुक्षण करने और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के माध्यम से निधि के लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 102**—यह खंड प्रस्तावित विधान या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 103**—यह खंड कंपनियों द्वारा अपराधों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 104**—यह खंड निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित फायदे को कपटपूर्वक प्राप्त करने के लिए शास्ति का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 105**—यह खंड निःशक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार के विभिन्न कृत्यों के लिए शास्तियों का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 106**—यह खंड प्रस्तावित विधान के अर्थ में सूचना प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 107**—यह खंड समुचित सरकार की उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए तथाकथित अपराधों की दशा में, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, अनुज्ञा प्राप्त करने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 108**—यह खंड वहां वैकल्पिक दंड का उपबंध करने के लिए है, जहां ऐसा अपराध किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है, का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 109**—यह खंड प्रस्तावित विधान के उपबंधों के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होने और न कि उनके अल्पीकरण में होने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 110**—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 111**—यह खंड कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 112**—यह खंड अनुसूची का संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 113**—यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को पूरा करने के लिए, नियम बनाने के लिए, सशक्त करने और प्रत्येक ऐसे नियम को उसके बनाए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 114**—यह खंड राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को पूरा करने के लिए, नियम बनाने के लिए, सशक्त करने का और प्रत्येक ऐसे नियम को उसके बनाए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा राज्य विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बना है उस सदन के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 115**—यह खंड राष्ट्रीय आयोग को विनियम बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए और प्रत्येक ऐसे विनियम को उसके बनाए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 116**—यह खंड राज्य आयोग को विनियम बनाने के लिए सशक्त करने का और प्रत्येक ऐसे विनियम को उसके बनाए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा राज्य विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बना है उस सदन के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए है।

**खंड 117**—यह खंड निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का निरसन करने के लिए और उसके तद्धीन की गई कार्रवाइयों की व्यावृत्ति का उपबंध करने के लिए है।

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 16 उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण, निःशक्त बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जिसके अंतर्गत निःशक्त बालकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण, पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, पुस्तकें और अन्य विद्या सामग्री, छात्रवृत्ति और विद्या के संवर्धन के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के उपाय करेगी।

2. विधेयक का खंड 18 उपबंध करता है कि समुचित सरकार, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी जिसके अंतर्गत उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वतः नियोजन के लिए विशेषतया निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दर पर ऋण और समर्थनकारी नियोजन के उपबंध भी हैं।

3. विधेयक का खंड 23 उपबंध करता है कि समुचित सरकार उसकी वित्तीय सक्षमता की सीमा के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रोन्नति के लिए, स्वतंत्र जीवन निर्वाह के लिए उनको सक्षम बनाने के लिए और समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए पर्याप्त मानकों को आवश्यक स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी, जिसके अंतर्गत सामुदायिक केन्द्रों का उपबंध करना; सुरक्षित पेय जल तक पहुँच; सुगम्य स्वच्छता सुविधाएं; सहायता और उपकरण; निःशक्तता पेंशन; बेरोजगार भत्ता, देख-रेख देने का भत्ता; आदि भी है।

4. विधेयक के खंड 24 का उपखंड (i) उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्त व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित उपलब्ध कराने को आवश्यक उपाय करेगी (क) ऐसी कुटुंब आय जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया आस पास में निःशुल्क स्वास्थ्य देख-रेख; (ख) उनके द्वारा या उनकी सहायता से चलाए जा रहे अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों तथा केन्द्रों के सभी भागों में बाधारहित पहुँच; (ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विक्ता। इस खंड का उपखंड (ii) यह उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्वास्थ्य देख-रेख की अभिवृद्धि और निःशक्तता की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेगा।

5. विधेयक के खंड 26 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए अपनी आर्थिक क्षमता और विकास, दी जाने वाली सेवाएं देने या उनके लिए और पुनर्वास कार्यक्रम विशेषतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्र में चलाएंगे। इस खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेंगे।

6. विधेयक का खंड 27 उपबंध करता है कि समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यक्तिगत या संस्था के माध्यम से जिनसे आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दों, जिन्हें निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी और कराएगी।

7. विधेयक का खंड 28 उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन संरक्षण, उनके सांस्कृतिक जीवन और अन्य के समान आमोद-प्रमोद क्रियाकलापों में भागीदारी जिसके अंतर्गत आमोद-प्रमोद केन्द्रों और सहायक युक्तियां और उपस्करों का विकास करना भी है, के उपाय करेगी।

8. विधेयक का खंड 29 उपबंध करता है कि समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उपाय करेंगी और अवसंरचनात्मक सुविधाओं, विकासशील तकनीक और निधि के आबंटन जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।

9. विधेयक के खंड 30 का उपखंड (2) उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक को अठारह साल की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो सके।

10. विधेयक का खंड 38 उपबंध करता है कि समुचित सरकार, प्रस्तावित विधान में अंतर्विष्ट निःशक्त व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्राह्यता का संचालन, प्रोत्साहन, समर्थन या संवर्धन करेगी।

11. विधेयक का खंड 40 उपबंध करता है कि समुचित सरकार यह उपबंध करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी (क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना जो पार्किंग स्थलों, प्रसाधनों, टिकट पट्टों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच के मानकों को पूरा करते हों; (ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च फिटिंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों, जब कभी वे निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हो, आर्थिक रूप में व्यवहार्य हों और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हों; और (ग) निःशक्त व्यक्तियों की गतिशील आवश्यकताओं के समाधान के लिए सुगम्य सड़कें।

12. विधेयक का खंड 44 का उपखंड (2) उपबंध करता है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल/जिला अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों जैसी सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हुए, पहुंच प्रदान करने के लिए पूर्विक्ता पर आधारित कार्ययोजना विरचित और प्रकाशित करेंगे।

13. विधेयक का खंड 46 उपबंध करता है कि समुचित सरकार मानव संसाधनों का विकास करने के लिए प्रयास करेगी जिसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारी, सरकारी और गैर सरकारी के विभिन्न प्रवर्ग के लिए प्रशिक्षण भी हैं।

14. विधेयक का खंड 54 उपबंध करता है कि समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए और प्रस्तावित विधान के अनुसरण में स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

15. विधेयक का खंड 60 का उपखंड (6) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कतिपय नामनिर्दिष्ट सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय भत्तों के लिए उपबंध करता है। समान रूप से खंड 66 का उपखंड (6) राज्य सलाहकार बोर्ड के कतिपय नामनिर्दिष्ट सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संदेय भत्तों के लिए उपबंध करता है।

16. विधेयक का खंड 73 उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, प्रस्तावित विधान में अंतर्विष्ट शक्तियों को प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने को राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति आयोग गठित करेगी। राष्ट्रीय आयोग का कार्यालय विद्यमान मुख्य आयुक्त निःशक्त व्यक्ति के कार्यालय का पुनःव्यवस्थित रूप में स्थापित होगा। समान रूप से राज्य सरकार विधेयक के खंड 86 के निबंधनों में प्रस्तावित विधान में अंतर्विष्ट शक्तियों को प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने को निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग गठित करेगी। राज्य आयोग का कार्यालय विद्यमान राज्य आयुक्तों के कार्यालय का पुनःव्यवस्थित रूप में स्थापित होगा।

17. विधेयक का खंड 99 निःशक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित अपराधों के मामलों को संचालित करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे लोक अभियोजकों को संदेय फीस और पारिश्रमिक का संदाय करने का उपबंध करता है।

यहां पूर्ण वित्तीय भार का प्राक्कलन करना सरल नहीं है संभवतः प्रस्तावित विधान, यदि अधिनियमित होता है, के सभी उपबंध सभी निःशक्त व्यक्तियों को ऐसी रीति में ऐसी सेवाओं के अंतर्गत आना अपेक्षित है, लागू होते हैं तथापि कुछ ऐसे कार्य विद्यमान अनुमोदित योजना स्कीम के माध्यम से वर्तमान में वित्तपोषित हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार बाह्यवी योजना अवधि में विस्तारित करने का आशयित है। कुछ कार्य जो वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं और जिन्हें, योजना स्कीम के माध्यम से वित्तपोषित करने का भी प्रस्ताव है, प्रस्तावित विधान के अधिनियमित होने पर करना आवश्यक होगा। प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन के लिए योजना स्कीम के माध्यम से वित्तपोषण पश्चात्वर्ती योजना अवधि में भी लागू करने की आवश्यकता होगी। निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए उपबंध क्रियाकलाप एकबार के लिए नहीं है क्योंकि निःशक्तता संविधान के अधीन राज्य विषय है। यह भी प्रत्याशा की जाती है कि विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन को अभिदाय करने के लिए उसके द्वारा राज्य समयोपरि निःशक्त व्यक्तियों के फायदे की अवधि के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने को समय की किसी अवधि पर सारतः अभिदाय करेंगे। तथापि, व्यय चाहे आवर्ती या अनावर्ती हो, भारत की संचित निधि या संबंधित राज्य की संचित निधि से पूरे किए जाएंगे।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 112, केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित करने के लिए सशक्त करता है।

2. खंड 112 के उपखंड (2) के अधीन जारी अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

3. विधेयक का खंड 113, केंद्रीय सरकार को पूर्व प्रकाशित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। इस खंड का उपखंड (2) उन विषयों को प्रगणित करता है जिनकी बाबत इस खंड के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे। ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ इनसे संबंधित हैं—(क) खंड 5 के उपखंड (2) के अधीन सदाचार समिति के गठन की रीति; (ख) खंड 20 के उपखंड (1) के अधीन समान अवसर नीति अधिसूचित करने की रीति; (ग) खंड 21 के उपखंड (1) के अधीन प्रत्येक स्थापन द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप और रीति; (घ) खंड 22 के उपखंड (3) के अधीन शिकायत अनुतोष अधिकारी द्वारा शिकायतों के रजिस्टर के अनुरक्षण की रीति; (ङ) खंड 35 के अधीन विशेष रोजगार कार्यालय के लिए स्थापन द्वारा जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करने की रीति; (च) खंड 37 के उपखंड (2) के अधीन निर्धारण बोर्ड की संरचना और उस खंड के उपखंड (3) के अधीन निर्धारण बोर्ड द्वारा किए जाने वाले निर्धारण की रीति; (छ) खंड 57 के उपखंड (1) के अधीन निःशक्तता प्रमाणपत्र के खंड किए जाने के लिए आवेदन की रीति और उस खंड के उपखंड (2) के अधीन निःशक्तता प्रमाणपत्र का जारी प्ररूप; (ज) खंड 60 के उपखंड (6) के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते; (झ) खंड 63 के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम; (ञ) खंड 78 के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें; (ट) खंड 81 के उपखंड (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें; (ठ) खंड 85 के उपखंड (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप, रीति और अंतर्वस्तु; (ड) खंड 100 के उपखंड (2) के अधीन निधि की उपयोगिता और प्रबंधन की प्रक्रिया और रीति और (ढ) खंड 101 के उपखंड (1) के अधीन निधि के लेखाओं को तैयार करने के प्ररूप।

4. खंड 113 का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

5. विधेयक का खंड 114, राज्य सरकार को पूर्व प्रकाशित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। इस खंड का उपखंड (2) उन विषयों को प्रगणित करता है जिनकी बाबत इस खंड के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे। ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ इनसे संबंधित हैं—(क) खंड 5 के उपखंड (2) के अधीन सदाचार समिति के गठन की रीति; (ख) खंड 50 के उपखंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए किसी आवेदन को करने का प्ररूप और रीति; (ग) खंड 50 के उपखंड (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और पूरे किए जाने वाले मानक; (घ) खंड 50 के उपखंड (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, रजिस्ट्रीकरण

प्रमाणपत्र से संलग्न प्ररूप और शर्तें; (ड) खंड 50 के उपखंड (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के निपटान की अवधि; (च) वह अवधि जिसके भीतर खंड 52 के उपखंड (1) के अधीन अपील की जाएगी; (छ) खंड 58 के उपखंड (1) के अधीन प्रमाणन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का समय और रीति और उस खंड के उपखंड (2) के अधीन ऐसी अपील के निपटान की रीति; (ज) खंड 66 के उपखंड (6) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते; (झ) खंड 69 के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम; (ञ) खंड 71 के अधीन जिला स्तर समिति की संरचना और कृत्य; (ट) खंड 91 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें; (ठ) खंड 94 के उपखंड (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें; (ड) खंड 96 के उपखंड (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक और विशेष रिपोर्टों का प्ररूप, रीति और अंतर्वस्तु; और (ढ ) खंड 99 के उपखंड (2) के अधीन विशेष लोक अभियोजक को संदत्त की जाने वाली फीस या पारिश्रमिक।

6. खंड 114 का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को राज्य विधान-मंडल के, जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

7. विधेयक का खंड 115, राष्ट्रीय आयोग को, अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के संगत विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। इस खंड का उपखंड (2) उन विषयों को प्रगणित करता है जिनकी बाबत इस खंड के अधीन विनियम बनाए जा सकेंगे। ये विषय अन्य बातों के साथ-साथ इनसे संबंधित हैं—(क) खंड 39 के अधीन पहुंच के लिए मानक; और (ख) खंड 80 के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम।

8. खंड 115 का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियम को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

9. विधेयक का खंड 116, राज्य आयोग को, अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित विधान के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत विनियम अधिसूचना द्वारा बनाने के लिए सशक्त करता है।

10. खंड 116 का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन राज्य आयोग द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम को राज्य विधान-मंडल के, जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

11. वे विषय, जिनकी बाबत पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम, विनियम बनाए जा सकेंगे और अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं होगा। अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।